[2022] 4 एस. सी. आर. 926

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वी.

मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

(2022 की सिविल अपील संख्या 2042)

27 अप्रैल, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत

और विक्रम नाथ, जे. जे.]

मध्यस्थता-कंपनियों के समूह का सिद्धांत-आह्वान-आयोजितः कंपनियों के एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा किया गया एक मध्यस्थता समझौता, उसके गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों या सहयोगी चिंताओं को बाध्य कर सकता है यदि परिस्थितियाँ हस्ताक्षरकर्ता और संबद्ध, गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती हैं-एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता से बाध्य हो सकता है।

समझौता जहाँः (i) कंपनियों का एक समूह मौजूद है; और (ii) पक्षों ने आचरण में लगे हुए हैं या बयान दिए हैं जो किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के इरादे का संकेत देते हैं-यह तय करने में कि क्या कोई कंपनी है।

कंपनियों के एक समूह के भीतर जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी इसके द्वारा बाध्य होगा, कानून मानता है

निम्नलिखित कारक हैंः (i) पक्षों का आपसी इरादा; (ii) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध; (iii) विषय वस्तु की समानता; (iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति; और (v) अनुबंध का प्रदर्शन।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 37-मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है-जिसे चुनौती दी गई हैः यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक याचिका को स्वीकार करता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो न्यायाधिकरण का आदेश अपील में चुनौती के लिए उत्तरदायी है धारा 37 (2) (ए)-अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में, न्यायालय को देय होना चाहिए

उन आधारों का सम्मान जो न्यायाधिकरण के साथ यह अभिनिर्धारित करने में वजन करते हैं कि उसके पास क़ानून के अंतर्निहित उद्देश्य और भावना को ध्यान में रखते हुए अधिकार क्षेत्र का अभाव है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति प्रदान करता है-न्यायाधिकरण का निर्णय कि

अधिकारिता का अभाव निर्णायक नहीं है क्योंकि यह अपील के अधीन है। उपाय यू / धारा 37 (2) (ए)-तथापि, इस अपीलीय शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि क़ानून ने उसे सौंपा है।

अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण

विवादों के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में मध्यस्थता की प्रभावशीलता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से।

926 ऑयललैंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उपहार प्रस्तुत करने के लिए एक हस्ताक्षरित लिखित समझौता

या भविष्य में मध्यस्थता के लिए विवाद किसी तीसरे पक्ष को बाध्य करने वाले मध्यस्थता समझौते की संभावना को बाहर नहीं करता है। एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों के समूह के सिद्धांत के संचालन के साथ-साथ असाइनमेंट, एजेंसी के सिद्धांतों के संचालन से बाध्य हो सकता है।

और उत्तराधिकार। एक पक्ष, जो एक मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, मध्यस्थता करने के लिए समझौते से बाध्य हो सकता है यदि वह समझौते को निष्पादित करने वाले पक्ष का अहंकार है। यह अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांत से अलग है कि कंपनियों के समूह में प्रत्येक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है जहाँः (i) कंपनियों का एक समूह मौजूद है; और (ii) पार्टियों ने आचरण में लगे हुए हैं या बयान दिए हैं जो एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने के इरादे का संकेत देते हैं। [पैरा 23] [955-एच; 956-ए-सी] 2. यह तय करने में कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी इसके द्वारा बाध्य होगी, कानून निम्नलिखित कारकों पर विचार करता हैः (i) पक्षों का आपसी इरादा; (ii) समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध; (iii) विषय वस्तु की समानता; (iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति; और (v) अनुबंध का प्रदर्शन। 1996 के अधिनियम की धारा 7 में सहमति और पार्टी की स्वायत्तता को रेखांकित किया गया है। हालांकि, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक सहमति के सिद्धांत पर बाध्य माना जा सकता है, जो एजेंसी और असाइनमेंट पर आधारित है या गैर-सहमति के आधार पर है जैसे कि अवरोध या अहंकार को बदलना।

[पैरा 26] [957-जी-एच; 958-ए-सी]

ओ. एन. जी. सी. ने इस तरह के जॉइंडर की आवश्यकता को साबित करने के लिए दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन किया है। खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार करने में विफल रहने से, न्यायाधिकरण कंपनियों के समूह के आवेदन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी या नहीं, इसकी जांच करने से खुद को रोक लिया।

सिद्धांत। खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन वास्तव में उस अभ्यास के लिए प्रासंगिक था जो न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा था। [पैरा 26 और 30] [958-सी-डी; 959-ई-एफ] [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.2 . पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अंतरिम फैसला कायम है।

के कारण दूषितः (i) ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की विफलता; (ii) कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू करने के लिए कानूनी आधार निर्धारित करने में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की विफलता; और (iii) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय कि वह ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर आवेदनों पर केवल निम्नलिखित याचिकाओं के बाद निर्णय लेगा - अधिकारिता का निपटारा किया गया। ओ. एन. जी. सी. द्वारा कंपनियों के समूह के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए उठाई गई याचिका को संबोधित करने में पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण की मौलिक विफलता थी। इसके अलावा, खोज के लिए ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर आवेदन को छोड़ कर और

निरीक्षण अनसुलझा, पहला मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे साक्ष्य की अनुमति देने में विफल रहा जिसका इस मुद्दे पर प्रभाव पड़ सकता है कि क्या जे. डी. आई. एल. को डी. ई. पी. एल. के साथ आर्थिक एकता माना जा सकता है और इसलिए उसे मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जा सकता है। [पैरा 50 और 51] [974-बी-एफ]

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. सेवर्न ट्रेंट वाटर

शुद्धिकरण इंक. और ओआरएस (2013) 1 एससीसी 641: [2012] 13

एस. सी. आर. 402-निर्भर।

अमित लालचंद शाह और अन्य। वी. ऋषभ एंटरप्राइजेज एंड एन. आर. (2018) 15 एससीसी 678: [2018] 6 एससीआर 1001

-

पुष्टि की।

इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (आई) लिमिटेड और एन. आर. (2010)

5 एस. सी. सी. 303: [2010] 5 एस. सी. आर. 284; चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड। वी. कस्तुरी एंड संस लिमिटेड एंड ओआरएस (2018) 16 एससीसी 413:

[2018] 4 एससीआर 1063; एमटीएनएल बनाम। केनरा बैंक और अन्य।

(2020) 12 एससीसी 767: [2019] 11 एससीआर 660; ड्यूरो

फेलगुएरा बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एससीसी

729 : [2017] 10 एस. सी. आर. 285; रेकिट बेंकिजर को संदर्भित किया गया

(भारत) पी लिमिटेड बनाम। रेनडर्स लेबल प्रिंटिंग (2019) 7 एस. सी. सी.

62 [2019] 8 एससीआर 966; सांगयोंग इंजीनियरिंग और

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड v. राष्ट्रीय राजमार्ग

भारतीय प्राधिकरण (2019) 15 एससीसी 131: [2019]

7 एस. सी. आर. 522; मेसर्स डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. एम/एस

क्रॉम्पटन ग्रेव्स लिमिटेड (2019) 20 एससीसी 1: [2019] 15 एससीआर 295; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डीडीए (2015) 3 एससीसी

49 : [2014] 13 एस. सी. आर. 895-संदर्भित।

वाणिज्यिक मध्यस्थता द्वितीय संस्करण। , खण्ड. 1 , पृष्ठ पर 1418 ; जॉन फेलास, तेल प्राकृतिक गैस निगम को मध्यस्थता करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को मजबूर करना।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ, न्यूयॉर्क लॉ जर्नल (मार्च

28 , 2022) - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 5 एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2012] 13 एससीआर 402

पै

रा 13 (viii)

उस पर भरोसा करें

[2018] 4 एससीआर 1063

पै

रा 13 (viii)

संदर्भित किया गया है

[2019] 11 एससीआर 660

पै

रा 13 (viii)

संदर्भित किया गया है

[2018] 6 एससीआर 1001

पुष्टि की

पै

रा 19

[2017] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2019] 8 एससीआर 966

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2019] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2019] 15 एससीआर 295

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[2014] 13 एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2042

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 27.06.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 की मध्यस्थता याचिका संख्या 814 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सोमिरन शर्मा, के. आर. शशिप्रभु, तुषार

भारद्वाज, विष्णु शर्मा, विनायक शर्मा, विनायक मैनी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राहुल नरीचनिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अजय भार्गव,

मेसर्स के लिए सुश्री वनिता भार्गव, असीम चतुर्वेदी, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, मिलिंद शर्मा। खेतान एंड कंपनी, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

ये हैं:

ए.

तथ्य।

... . 3 *

ए. 1। मध्यस्थता से उत्पन्न हुए हस्तांतरित मामले। 11 *

..... 14 *

वकील की प्रस्तुतियाँ।

बी. सी.

विश्लेषण करें।

..... 21 *

सी. 1. कंपनी सिद्धांत का समूह। ... .

..... 21 *

सी. 2. अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा के लिए मानक। 37 *

डी निष्कर्ष।

..... 58 *

* मूल निर्णय के अनुसार पृष्ठांकन को दर्शाता है।

22] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक तथ्य

1. यह अपील बॉम्बे में उच्च न्यायालय के 27 जून 2012 के एक फैसले से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा धारा के तहत अपील की जाती है।

37 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 1 को खारिज कर दिया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2 ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के 27 अक्टूबर 2010 के एक अंतरिम फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की जिसमें कहा गया कि दूसरा प्रतिवादी-जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था और उसे पक्षकारों की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए। अंतरिम पुरस्कार को एक अपील में चुनौती दी गई थी जिसे विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2. 22 मार्च 2006 को, ओ. एन. जी. सी. ने डिस्कवरी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को एक अनुबंध प्रदान किया, जो पहला प्रतिवादी है, जो एक कंपनी है।

डी. पी. जिंदल समूह से संबंधित, एक तैरते हुए, उत्पादन, भंडारण और उतारने वाले जहाज के संचालन के लिए। अनुबंध के खंड 25.7.11 में निहित शर्त के अनुसार, क्रिस्टल सी नामक एक पोत का आयात 11 मई 2006 को किया गया था। ओ. एन. जी. सी. ने रुपये की राशि में सीमा शुल्क का भुगतान किया। 55.78 करोड़ इस समझ पर कि शुल्क वापसी के तहत काम पूरा होने के बाद पोत को फिर से निर्यात किया जाएगा, जिसकी औपचारिकताएं होंगी

डी. ई. पी. एल. द्वारा पूरा किया। पोत भारतीय जलक्षेत्र छोड़ कर चला गया और वापस नहीं आया। ओ. एन. जी. सी. के अनुसार, डी. ई. पी. एल. शुल्क निकासी की औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रही और ओ. एन. जी. सी. को सीमा शुल्क और अन्य खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं की। 63.88 करोड़।

3. ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच अनुबंध का खंड 37 प्रदान करता है

मध्यस्थता के माध्यम से पक्षों के विवादों के निपटारे के लिए। 25 अप्रैल 2008 को, ओ. एन. जी. सी. ने डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. के खिलाफ मध्यस्थता का आह्वान किया और 25 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया। 63.88 करोड़। श्री न्यायमूर्ति एस. पी. कुर्दुकर (सेवानिवृत्त), श्री न्यायमूर्ति एम. एस. राणे (सेवानिवृत्त) और श्री एस. वेंकटेश्वरन (वरिष्ठ अधिवक्ता) से मिलकर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपने दावे के बयान में, ओ. एन. जी. सी. ने यह मामला स्थापित किया कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. डी. पी. जिंदल समूह की कंपनियों से संबंधित हैं और चूंकि वे एक एकल आर्थिक इकाई हैं, इसलिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता, जे. डी. आई. एल. को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर करने के लिए निगमित आवरण को हटा दिया जाना चाहिए। के अनुसार

1 " 1996 का अधिनियम "2" ओ. एन. जी. सी.

3 " अंतरिम पुरस्कार " 4 " जे. डी. आई. एल. "या" दूसरा उत्तरदाता "5" डी. ई. पी. एल. "

" पोत "प्राकृतिक गैस निगम। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

सी, डी. ई. पी. एल. जे. डी. आई. एल. का एक अहङ्कार और प्रतिनिधि है। का बयान

इसे इस प्रकार पढ़िए:

कंपनियों का समूह और यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2, मेसर्स जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक हित है प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसे अहंकार का परिवर्तन कहा जा सकता है

उत्तरदाता सं. 2। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 1 के व्यवसाय का अंतिम लाभार्थी है। [.....] वर्तमान में ओ. एन. जी. सी. के साथ उनके तीन वैध मौजूदा अनुबंध हैं। डी. ई. पी. एल

शेयरधारक लगभग आम हैं। उत्तरदाता संख्या 1 के पास है सभी ने प्रतिनिधित्व किया कि वे जिंदल की समूह कंपनी हैं

बोली में उनके प्रतिनिधित्व के अलावा वे रहे हैं

इसका प्रतिनिधित्व करते हुए पत्र शीर्षों के माध्यम से जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वे कंपनियों के एक समूह, अर्थात् डी. पी. जिंदल से संबंधित हैं।

संलग्नक 8. चूँकि उत्तरदाता संख्या 1 क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है ओ. एन. जी. सी. ने अपने नुकसान के लिए, ओ. एन. जी. सी. ने जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देय धन से उक्त राशि को प्रतिभूति के रूप में समायोजित किया है ताकि इस मामले में पारित किए जाने वाले पुरस्कार को पूरा किया जा सके।

मामला।

18. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 पिछले कई वर्षों से विभिन्न अनुबंधों के तहत ओ. एन. जी. सी. को जहाजों और रिग की आपूर्ति कर रहा था। यह एक तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 1 का गठन एक समूह कंपनी के रूप में किया गया था

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के चार्टर के साथ और

भारत में तेल और गैस बाजार के लिए समाधान। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने डी. पी. जिंदल समूह की कंपनियों के एक हिस्से के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया है जैसा कि कंपनी की वेबसाइट (www.discoveryepl.com) से देखा गया है। वेबसाइट से संबंधित उद्धरण की एक प्रति संलग्न है। इसके साथ और अनुलग्नक ए-9 के रूप में चिह्नित। विषय अनुबंध के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत बोली में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक ही वेब-आधारित प्रतिनिधित्व स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से किया गया था। उसी की प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और अनुलग्नक-10 के रूप में चिह्नित की गई है। [2022] 4 एस. सी. आर. के निदेशक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों कंपनियाँ एक ही काम करती हैं। परिसर, एक ही मंजिल, एक ही इमारत अर्थात केशव भवन, बांद्रा कुर्ला परिसर। दावेदार को संबोधित दोनों कंपनियों के पत्र प्रमुख की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं और अनुलग्नक ए-11 (कोली) के रूप में चिह्नित हैं। अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक प्रमुख जिंदल

ड्रिलिंग एक्जीक्यूटिव ने विषय अनुबंध से संबंधित वार्ताओं में सक्रिय रुचि ली है। यह बहुत स्पष्ट करता है कि डी. ई. पी. एल. अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1 ठेकेदार की गतिविधियाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 की गतिविधियों का एक विस्तार है, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी को एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया है।

गतिविधियाँ। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि समूह कंपनी के सिद्धांत को इस मामले में लागू किया जा सकता है-कंपनियों के एक समूह में एक कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित एक मध्यस्थता समझौता (या

बाध्य करती है) अन्य समूह गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनियाँ, यदि बातचीत के आसपास की परिस्थितियाँ,

समझौते से पता चलता है कि सभी पक्षों का आपसी इरादा गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बांधना था। ये समूह कंपनियाँ एक ही "आर्थिक वास्तविकता" का गठन करती हैं। यह तब स्पष्ट होता है जब घूंघट छेदना किया जाता है। दोनों कंपनियों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण देने वाले दस्तावेजों की प्रतियां इसके साथ संलग्न की गई हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है।

19. किसी भी मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रत्यर्थी संख्या 2 का एक एजेंट/परिवर्तनकारी अहंकार माना जा सकता है क्योंकि इसके गहरे और व्यापक पारिवारिक संबंध हैं, इस तथ्य के अलावा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस अनुबंध का इच्छित तृतीय-पक्ष लाभार्थी है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को साक्ष्य और कानून के अनुसार इन प्रश्नों का निर्धारण करना होता है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट एकता और क्रॉस है।

शेयरधारकों द्वारा दोनों कंपनियों में हिस्सेदारी, दोनों कंपनियों के लिए समान।

[...]

21.यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस माननीय न्यायाधिकरण को प्रत्यर्थी संख्या 1 के डी. पी. की एक समूह कंपनी होने की स्वीकृत वास्तविकताओं को देखने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा को भेदना पड़ता है। जिंदल समूह। जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, एक खंड 'कॉर्पोरेट एकता' है और समूह कंपनियों/परिवर्तन अहंकार/अंतिम लाभार्थी के सिद्धांत को लागू करता है। इस न्यायाधिकरण को प्रत्यर्थी संख्या 2 ऑयलेंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन को अभिनिर्धारित करना है।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नं. 1। न्यायाधिकरण को पसंद किया गया मुद्दा मध्यस्थता के दायरे में है समझौता और कानून के तहत और इस माननीय न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र है

विवाद का मनोरंजन करना और निर्णय लेना। "

4. जे. डी. आई. एल. द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें इसे मध्यस्थता कार्यवाही से हटाने की मांग की गई थी।

कि वह मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है। ओ. एन. जी. सी. ने आवेदन का जवाब दिया। कार्यवाही के दौरान, ओ. एन. जी. सी. ने 5 जनवरी 2009 को अपने मामले का समर्थन करने के लिए खोज और निरीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया कि डी. ई. पी. एल. जिंदल समूह की कंपनियों का एक अहंकार है। खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन के समर्थन में ओ. एन. जी. सी. ने अनुरोध किया वहः

((i)

डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. समूह कंपनियाँ हैं और वे हैं - उत्तरार्द्ध का एक एजेंट या परिवर्तनकारी अहंकार है;

((ख)

उनके बीच कॉर्पोरेट और कार्यात्मक एकता मौजूद है।

(iii)

डी. ई. पी. एल. एक कॉर्पोरेट मुखौटा है जिसे बनाया गया है

जे. डी. आई. एल. के व्यवसाय को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना।

(iv) जे. डी. आई. एल. कंपनियों के समूह के सिद्धांत के आधार पर डी. ई. पी. एल. की चूक और कमीशन के कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

(v)

डी. ई. पी. एल. को जिंदल समूह द्वारा तैयार किया गया है। तेल और गैस क्षेत्र में सेवाओं और समूह की प्रत्येक इकाई को कुछ सेवाओं को प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया है; और

(vi) डी. ई. पी. एल. जे. डी. आई. एल. की निगमित वेबसाइट पर प्रवेश के आधार पर समूह के "भ्रातृ हुड" के तहत काम कर रहा है।

5. ओ. एन. जी. सी. ने कहा कि दस्तावेजी साक्ष्य दर्शाते हैं कि "इन दोनों कंपनियों के बीच एक करीबी कॉर्पोरेट एकता और कार्यात्मक एकता मौजूद है" और इसलिए इसकी खोज करना आवश्यक था।

आवेदन की अनुसूची में निर्धारित दस्तावेज। जिन दस्तावेजों की खोज की गई थी, उन्हें नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

" दस्तावेजों की अनुसूची

1. प्रतिवादी सं. 2 के संघ का ज्ञापन।

2. उत्तरदाता सं. 2 के संघ के लेख।

3. वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 का खाता

2003-04 , 2004-05 , 2005-06 और 2006-07।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. वित्त के लिए उत्तरदाता संख्या 2 का कर्मचारी वेतन रजिस्टर

वर्ष 2003-04,2004-05,2005-06 और 2006-07।

5. उत्तरदाता संख्या 1 के अधिकार/स्वामित्व को दर्शाने वाला शीर्षक दस्तावेज़

सुइट 110, टावर-I, 70 में पंजीकृत कार्यालय परिसर में

नजफगढ़ रोड, बी-39, नई दिल्ली-110 015।

6. केशव भवन, बांदा में तीसरी मंजिल पर कार्यालय परिसर पर प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकार/स्वामित्व को दर्शाने वाला शीर्षक दस्तावेज।

कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांदा (पूर्व), मुंबई-400 051।

2003 2007 तक। (i) टेलीफोन No.52531100, (ii) फैक्स No.52531191। 8. टेलीफोन कनेक्शन के अनुदान को दर्शाने वाले दस्तावेज

मुंबई कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन और फैक्स नंबर

उत्तरदाता सं. 2 और कैलेंडर वर्ष 2003 से 2007 तक उत्तरदाताओं द्वारा उक्त टेलीफोन और फैक्स नंबरों के बिलों का भुगतान। (i) टेलीफोन Nos.26592889 और 55020047, (ii) फैक्स

No.26592630।

9. ओ. एन. जी. सी. से अब तक प्राप्त अनुबंध की सूची

उत्तरदाता सं. 2।

10. ड्रिलिंग इकाई में चालक दल के सदस्यों की सूची "नोबल एड-होल्ट को 17.8.06 पर और नोबल चार्ली येस्टर को 2.12.06 पर सम्मानित किया गया।"

6. ओ. एन. जी. सी. ने दावे के बयान के समर्थन में साक्ष्य का नेतृत्व किया। जाँच के दौरान, ओ. एन. जी. सी. के गवाह, अनिंद्य भट्टाचार्य

ओ. एन. जी. सी. के मुख्य प्रबंधक (एम. एम.) के रूप में काम कर रहे थे

दावे के समर्थन में। जे. डी. आई. एल. ने प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के आधार पर दस्तावेजों को पेश करने पर आपत्ति जताई थी। 7 जुलाई 2009 को हुई बैठक के दौरान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित बातें दर्ज कींःयह हैः

" न्यायाधिकरण के अनुसारः

गवाह अनिंद्य भट्टाचार्य (सी. डब्ल्यू.-1) द्वारा 26 जून 2009 के अपने हलफनामे के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और

1 से 10 तक के अनुलग्नकों को अभिलेख में लिया गया है। श्री राहुल नरीचानिया, एल. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता इन दस्तावेजों को इस आधार पर रिकॉर्ड में लिए जाने पर आपत्ति जताते हैं कि ये प्रासंगिक और प्राकृतिक गैस निगम नहीं हैं।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 2 का संबंध है, वह स्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि

कहा कि वह दस्तावेजों पर गवाह से जिरह करेगा उसके अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कि उक्त दस्तावेज न तो थे

साक्ष्य में प्रासंगिक और न ही स्वीकार्य और के रूप में चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए

प्रदर्शनी।

प्रतिद्वंद्वी विवादों का निपटारा करते समय निर्णय लिया जाएगा

मध्यस्थता और सुलह की धारा 16 के तहत किया गया आवेदन

अधिनियम, 1996। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल इसलिए कि गवाह

उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से प्रतिपरीक्षा की गई है

श्री राजीव कुमार ऊपर दर्ज प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हैं। द. दावेदार इस संबंध में किसी भी अधिकार को माफ नहीं करते हैं।

7. 27 अक्टूबर 2010 के अपने अंतरिम निर्णय द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण

कि उसके पास जे. डी. आई. एल. के खिलाफ दावे पर मध्यस्थता करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था,

एच मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था। न्यायाधिकरण ने भरोसा जताया

ई. इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। वेसकेयर (1)

& Anr.7। न्यायाधिकरण का निष्कर्ष था कि जे. डी. आई. एल. एक नहीं है

मध्यस्थता समझौते का सारांश और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका

कार्यवाहियों के लिए अधिकार। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया किः

" 20. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, मध्यस्थता न्यायाधिकरण है

यह राय कि इसके लिए इससे परे जाने की अनुमति नहीं हो सकती है अधिनियम की धारा 7 की परिधि। 'पार्टी' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

धारा 2 (1) (एच) का अर्थ है मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष और

मध्यस्थता समझौते को धारा 7 के तहत परिभाषित किया गया है एक्ट करें। [.....] इसे अलग तरह से रखने के लिए, इस मध्यस्थता न्यायाधिकरण में इसका अभाव है

किसी भी मामले की जाँच करने, जाँच करने और दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र

दावा याचिका पैराग्राफ 17 से 21 के आधार पर निष्कर्ष निकालना

ओ. एन. जी. सी. बनाम मेसर्स जिंदल लिमिटेड/प्रत्यर्थी संख्या 2 अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र के अभाव के लिए असमर्थनीय। मध्यस्थ

न्यायाधिकरण यह स्पष्ट करता है कि मेसर्स जिंदल लिमिटेड/की स्थिति

उत्तरदाता नं। 2 केवल के आधार पर माना जाता है

संविधान की धारा 2 (1) (एच) और धारा 7 में निहित प्रावधान

अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

घ) 5 एस. सी. सी. 306 ["इंडोविंड"] [2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. तदनुसार जे. डी. आई. एल. को दलों से अलग कर दिया गया। ओ. एन. जी. सी. ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 37 के तहत एक अपील दायर की, जिसे 27 जून 2012 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गयाः

" 16. जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. में समानता थी शेयरधारक और सामान्य निदेशक मंडल। भले ही ऐसा ही होता, लेकिन भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडोविंड बनाम वेसकेयर मामले (ऊपर दिए गए) में कहा है कि केवल इसलिए कि दो कंपनियों के साझा शेयरधारक और निदेशक हैं, वे एक इकाई नहीं बनते हैं। तत्काल मामले में भी, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सही निर्णय दिया है कि केवल इसलिए कि दोनों कंपनियों का एक समय पर एक समान पता हो सकता है

और टेलीफोन नंबर, यह उन्हें एक आर्थिक इकाई नहीं बनाता है। केवल यह तथ्य कि जे. डी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक के दामाद और दामाद डी. ई. पी. एल. में निदेशक हैं, यह भी साबित नहीं करता कि ये कंपनियाँ एक ही हैं। यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि दोनों कंपनियों के बीच कथित सांठगांठ के कारण, ओ. एन. जी. सी. ने उक्त पुरस्कार दिया।

डी. ई. पी. एल. को अनुबंध। इसे सही मानते हुए भी, यह ओ. एन. जी. सी. के मामले को आगे नहीं ले जाता है। जे. डी. आई. एल. निश्चित रूप से एक नहीं है। अनुबंध का पक्षकार और उक्त अनुबंध के तहत उत्तरदायी नहीं हो सकता है जो केवल ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच है। यदि ओ. एन. जी. सी. जे. डी. आई. एल. को उक्त अनुबंध के लिए बाध्य करना चाहती थी, तो उसे जे. डी. आई. एल. को उक्त अनुबंध का एक पक्ष बनने के लिए कहना चाहिए था। वास्तव में, इस अदालत ने ओ. एन. जी. सी. की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि ओ. एन. जी. सी. ने जोर क्यों नहीं दिया

जे. डी. आई. एल. द्वारा उक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर जब स्वीकार किया जाए कि अन्य हैं

ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. के बीच हुए अनुबंध।

हालाँकि, ओ. एन. जी. सी. की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जवाब में, उन्होंने केवल यह प्रस्तुत किया कि ओ. एन. जी. सी. ने भी इस अदालत में 2011 का 2947 मुकदमा दायर किया है जिसमें डी. ई. पी. एल.

और जे. डी. आई. एल. को प्रतिवादी बनाया गया है।

9. उच्च न्यायालय के फैसले को संविधान के ओ. एन. जी. सी. अनुच्छेद 136 द्वारा चुनौती दी गई थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 6 जून 20138 को अपना फैसला सुनाया और ओ. एन. जी. सी. के दावे को स्वीकार करते हुए कहा कि वह 5 करोड़ रुपये की राशि की वसूली करने का हकदार है। 63.87 करोड़ और USD, 197.50 प्रति वर्ष 9 प्रतिशत ब्याज और कानूनी लागत के साथ। डी. ई. पी. एल. द्वारा दायर जवाबी दावे को खारिज कर दिया गया।

पहली कार्यवाही में इट्रल पुरस्कार "ऑयलेंड नैचुरल गैस कॉर्प"।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

10. इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि अपने अंतरिम निर्णय के दौरान, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दस्तावेजों की खोज के लिए 5 जनवरी 2009 को ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर आवेदनों पर विचार किया और निरीक्षण। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. के इस तर्क पर ध्यान दिया कि खोज और निरीक्षण के लिए उसके आवेदन पर पहले सुनवाई की जानी चाहिए और गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा किया जाना चाहिए और जे. डी. आई. एल. द्वारा धारा 16 के तहत दायर आवेदन पर उसके बाद सुनवाई की जानी चाहिए ताकि सभी प्रासंगिक दस्तावेज सामने आ सकें।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष। हालाँकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन को "अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का निर्णय होने तक स्थगित कर दिया जाए"।

ए. 1। मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले हस्तांतरित मामले

11. ओ. एन. जी. सी. और के बीच मध्यस्थता के लंबित रहने के दौरान

डी. ई. पी. एल., ओ. एन. जी. सी. ने 14,772 करोड़ रुपये के अपने दावे की वसूली के लिए 14,772 अमेरिकी डॉलर की राशि रोकी। जे. डी. आई. एल. के साथ चार अनुबंधों के विरुद्ध 64.88 करोड़। 24 अक्टूबर 2007 के एक पत्र द्वारा, जे. डी. आई. एल. ने ब्याज के साथ रोकी गई राशि को जारी करने की मांग की, जिसमें विफल रहने पर उसने कहा कि वह कानूनी सहारा लेने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। ओ. एन. जी. सी. ने 5 मई 2008 को पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वे डी. ई. पी. एल. द्वारा ओ. एन. जी. सी. को देय राशि के समायोजन के रूप में बकाया राशि को रोक रहे हैं। ओ. एन. जी. सी. द्वारा ड्रिलिंग सेवाओं के लिए अपने चार अनुबंधों के तहत की गई कटौती से व्यथित, जे. डी. आई. एल. ने 4 फरवरी 2010 को मध्यस्थता का आह्वान किया। न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति एम. एस. राणे (सेवानिवृत्त) से मिलकर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इस बीच, ओ. एन. जी. सी. ने जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल. के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक घोषणात्मक मुकदमा दायर किया जो वर्तमान में लंबित है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 9 अक्टूबर 2013 के एक सामान्य निर्णय द्वारा ओ. एन. जी. सी. को जे. डी. आई. एल. को प्रत्येक चालान की नियत तिथि से भुगतान या प्राप्ति की तारीख तक 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 14,772 अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ओ. एन. जी. सी. की इस दलील पर विचार किया कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. एक ही समूह से संबंधित हैं और इस प्रकार ओ. एन. जी. सी. को कटौती करने का अधिकार है। ओ. एन. जी. सी. के तर्क को खारिज करते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहाः

" 25. प्रतिवादी की याचिका का समर्थन करने के लिए शायद ही कोई सबूत है कि डी. ई. पी. एल. और दावेदार एक ही कंपनी हैं। डी. ई. पी. एल. और दावेदार दोनों डी. पी. जिंदल समूह की समूह कंपनियाँ हैं। यद्यपि डी. ई. पी. एल. के निदेशक

9 " दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार "[2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कंपनी। दोनों मुख्य कंपनी की सहायक कंपनियां हैं और दोनों का स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व है। डी. ई. पी. एल. की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। दावेदार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसे वर्ष 1983 में निगमित किया गया था। 26. [.....] वर्तमान मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और यह मानते हुए कि ऐसा है, कॉर्पोरेट पर्दा उठाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में साक्ष्य "कॉर्पोरेट पर्दा उठाने" के आवेदन को उचित नहीं ठहराता है। प्रतिवादी द्वारा डी. ई. पी. एल. के साथ किए गए अनुबंध के संबंध में, ओ. एन. जी. सी. द्वारा 2005 में निविदा जारी की गई थी और अनुबंध 2006 में किया गया था। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी ने डी. ई. पी. एल. को अनुबंध प्रदान किया क्योंकि यह वास्तव में दावेदार था और/या दावेदार द्वारा समर्थित था। अनुबंध के संबंध में बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची के लिए उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्रस्तुत एकमात्र गवाह कार्यपालिका द्वारा आयोजित बैठकों में उपस्थित नहीं था।

खरीद समिति जब अनुशंसित बोलीदाता के अनुबंध के पुरस्कार पर विचार-विमर्श हुआ। [.....] वहाँ कोई नहीं है

यह दिखाने के लिए सबूत कि उक्त अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए, डी. ई. पी. एल. ने प्रतिनिधित्व किया कि यह दावेदार समूह का एक हिस्सा था। [.....]

27. डी. ई. पी. एल. की देनदारियों, यदि कोई हो, के संबंध में दावेदार की ओर से प्रत्यर्थी को कोई गारंटी या "सांत्वना पत्र" नहीं है।

ओ. एन. जी. सी. के साथ अपने अनुबंध के तहत। [.....]

[.....]

31. वर्तमान मामले में प्रतिवादी ओ. एन. जी. सी. ने पहले डी. ई. पी. एल. और दावेदार दोनों के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण [.] 27 10-2010 के अपने 'अंतरिम अंतिम निर्णय' द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी और डी. ई. पी. एल. के बीच विवाद में, दावेदार को आरोपित नहीं किया जा सकता है। [.....] पूर्ववर्ती मध्यस्थ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के तेल प्राकृतिक गैस निगम के निष्कर्ष।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

27 जून 2012 के अपने आदेश में हमारे वर्तमान निष्कर्षों का समर्थन करते हैं, और

हम सम्मानपूर्वक उसी से सहमत हैं। "

12. डी. ई. पी. एल. उपरोक्त मध्यस्थता कार्यवाही का पक्षकार नहीं था जो जे. डी. आई. एल. द्वारा शुरू की गई थी। ओ. एन. जी. सी. ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने के लिए याचिकाएं दायर कीं। जे. डी. आई. एल. के चार अनुबंधों के संबंध में कार्यवाही। 28 अप्रैल 2015 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। ओ. एन. जी. सी. ने 27 अक्टूबर 2010 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर की, जिसमें शामिल थे -

श्री न्यायमूर्ति एस. पी. कुर्दुकर (सेवानिवृत्त), श्री न्यायमूर्ति एम. एस. राणे (सेवानिवृत्त) और श्री एस. वेंकटेश्वरन। ओ. एन. जी. सी. ने मध्यस्थता को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत याचिकाओं को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर अपीलों को स्थानांतरित करने की मांग की।

दूसरी कार्यवाही में पुरस्कार। स्थानांतरित किए गए मामले 27 अक्टूबर 2010 के अंतरिम फैसले से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका के साथ इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

बी वकील की प्रस्तुतियाँ

13. ओ. एन. जी. सी. की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने कहा किः

((i)

ओ. एन. जी. सी. का मामला यह है कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. एक हैं।

एकल वाणिज्यिक इकाई और यह कि ओ. एन. जी. सी. इसलिए कानून द्वारा जे. डी. आई. एल. को मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर करने का हकदार है ताकि उसके खिलाफ निर्णय को लागू किया जा सके;

((ख)

हालांकि ओ. एन. जी. सी. के पास सबूत उपलब्ध थे

उपरोक्त दावे के अनुसार, इसने ऐसी सामग्री की खोज और निरीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया जो जे. डी. आई. एल. के कब्जे, नियंत्रण और अभिरक्षा में थी। हालांकि, पार्टियों के समूह से जे. डी. आई. एल. को हटाने के साथ, आवेदन

खोज और निरीक्षण के लिए वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया गया है;

(iii)

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने तथ्यों की बिल्कुल भी जांच नहीं की है।

ओ. एन. जी. सी. के इस तर्क के बावजूद कि जे. डी. आई. एल. आवश्यक है।

पार्टी;

10 2014 की मध्यस्थता याचिका सं. 587,767,768 और 1045 1 1 मध्यस्थता अपील सं. 446 2015 का 449 तक 1 2 हस्तांतरित मामला (सिविल) संख्या। 47 , 48 , 49 और 2016 का 50 13 "एएसजी" [2022] 4 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने केवल 1996 के अधिनियम की धारा 7 में अंतर्निहित कानूनी सिद्धांत के आधार पर निर्णय दिया है और अनुबंध की गोपनीयता, कि जे. डी. आई. एल. जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, को मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता है;

अंतरिम पुरस्कार ने धारा 16 के तहत खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार या सुनवाई नहीं की। फैसला विशुद्ध रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है;

ओ. एन. जी. सी. को इस बात के साक्ष्य देने से रोक दिया गया है कि जे. डी. आई. एल. को कंपनियों के समूह के सिद्धांत के आधार पर मध्यस्थता के दायरे में लाया जा सकता है।

जबकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इंडोविंड (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, इस न्यायालय के बाद के फैसलों ने कंपनियों के समूह को स्वीकार किया है और लागू किया है सिद्धांत। ये निर्णय इस प्रकार हैं:

क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. सेवर्न ट्रेंट

ए।

जल शोधन इंक. और अन्य; 14 1 4

चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तुरी एंड संस लिमिटेड

बी।

& ओआरएस; 1 5 15 और

एमटीएनएल वी. केनरा बैंक & Ors.[1]6 16. और

सी। इस न्यायालय के बाद के निर्णयों को देखते हुए इंडोविंड (ऊपर) में निर्णय अच्छा कानून नहीं है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर फैसला करना चाहिए था

पक्षों को साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग और कॉर्पोरेट घूंघट को उठाने में कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न शामिल हैं। अधिकारिता और गुणों का मुद्दा अटूट रूप से आपस में जुड़ा हुआ है और एक निर्णय विशेष रूप से

1996 के अधिनियम की धारा 7 का अनुप्रयोग अनुचित था।

सी. सी. 641 ["क्लोरो कंट्रोल्स"] सी. सी. 413 ["चेरन प्रॉपर्टीज"] सी. सी. 767 ["एम. टी. एन. एल".] ऑयल नैचुरल गैस कार्पोरेशन।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

14. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए, श्री श्याम दीवान, वरिष्ठ

जे. डी. आई. एल. की ओर से पेश वकील ने निम्नलिखित सारणी में संकेत दिया हैः

ओ. एन. जी. सी. के विवाद;

(1)

जे. डी. आई. एल. की प्रतिक्रिया;

((ख)

( ) (1 iii) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अंतरिम निर्णय में निष्कर्ष; और () (0 iv) उच्च न्यायालय का आदेश।

सारणीबद्ध कथन की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है

संदर्भः

जे. डी. आई. एल. का जवाब

" ओएनजीसी

अंतरिम पुरस्कार

उच्च

न्यायालय का आदेश

सामग्री

जे. डी. आई. एल. के पास काफी कुछ है।

इनमें से कोई भी दावा नहीं

एसएलपी का पैरा 16, पैरा 16 का पेज

178, पैरा 16 का पेज 14

व्यवसाय में रुचि

तथ्य पर आधारित हैं और नहीं

एसएलपी

डी. ई. पी. एल.

ओ. एन. जी. सी. के नेतृत्व में साक्ष्य

एक चुटकी भी नहीं।

कोई

सबूत नहीं है

यह इस ओर इशारा करता है।

डी. ई. पी. एल. एक परिवर्तनशील अहंकार है।

दिखाने के लिए सबूत

मध्यस्थ

के समक्ष निविदा

वह जे. डी. आई. एल. कभी

जे. डी. आई. एल.

न्यायाधि

करण जो डी. ई. पी. एल. और

इसके अलावा जे. डी. आई. एल. एक

कोई भी भूमिका निभाई

जे. डी. आई. एल. अंतिम है।

जे. डी.

आई. एल. में समानता थी।

सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी

में लाभार्थी

में खुद को ढूँढें

शेयरधा

रक

और

बीएसई और इसके वार्षिक

डी. ई. पी. एल. के साथ व्यवसाय।

का

सामान्य बोर्ड

के बीच अनुबंध

प्रतिवेदन आदि सार्वजनिक हैं।

डी. ई. पी. एल

और

निदेशक।

भले ही ऐसा हो

डी. ई. पी. एल. करीब है।

डोमेन। यह देखा जा सकता है

होता तो

होता,

निगमित एकता

ओएनजीसी।

कि कोई लाभ नहीं है

माननीय

सर्वोच्च न्यायालय

के अधिकारी

जे. डी. आई. एल

जे. डी. आई. एल. द्वारा व्युत्पन्न

इंडोविंड

में भारत का

जे. डी. आई. एल. ने भाग लिया

के शेयरधारक

डी. ई. पी. एल. से

बनाम

वेसकेयर मामला

द.

में

जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल.

(सुप्रा)

ने माना है कि

बातचीत आदि।

लगभग आम।

इसके अलावा यह

सिर्फ

इसलिए कि दो

की ओर से

था।

1983 में निगमित और

है।

कंपनियाँ

डी. ई. पी. एल. उनके रूप में

डी. ई. पी. एल. को शामिल किया गया था।

आम

शेयरधारक

विधिवत हस्ताक्षर करें

बाद में 2003 में।

और

निदेशक, वे करते हैं

इसका अर्थ है।

एकल न

बनें

व्यक्तिगत

द.

कोई गारंटी पत्र नहीं

इकाई।

संबंध

या सांत्वना का पत्र था

के बीच में • सिर्फ इसलिए कि दोनों

जे. डी. आई. एल. द्वारा जारी

कंपनियाँ

एक बार में

डी. ई. पी. एल. के निदेशक

डी. ई. पी. एल. की ओर से

समय की

बात है, एक था

और जे. डी. आई. एल. के एम. डी.

ओ. एन. जी. सी. का समर्थन।

सामान्य

पता और

का है।

नहीं।

फोन

नंबर या

परिणाम।

जे. डी. आई. एल. इसमें पक्षकार नहीं है।

कि बेटा

और

स्पष्ट रूप से जे. डी. आई. एल. है

मध्यस्थता समझौता

पुत्रवधू

पार्टी में नहीं

और कुछ भी नहीं है

के प्रबंध

निदेशक

मध्यस्थता

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड करें कि वहाँ

जे. डी.

आई. एल. निदेशक हैं।

समझौता।

इरादा था कि

डी. ई.

पी. एल. में, यह नहीं है

शामिल करने के लिए कोई भी पक्ष

का पैरा 20 पृष्ठ 180

उन्हें एक

बना दें।

जे. डी. आई. एल. और यह एक नहीं था

एसएलपी

आर्थिक

इकाई।

एक संयुक्त का हिस्सा

कोई

विश्वसनीय भी नहीं है

इनमें से कोई नहीं।

लेन-देन जिसमें

यह

साबित करने के लिए कि

दस्तावेजों में

जे. डी. आई. एल. के पास एक मिनट भी था।

क्योंकि

आरोप लगाया

रिकॉर्ड करेंगे

खेलने के लिए।

दोनों के

बीच संबंध

द.

संतुष्ट करें

कंपनियां

, ओ. एन. जी. सी.

की आवश्यकता

ओ. एन. जी. सी. ने साझा नहीं किया है।

सम्मानि

त किया गया

कहा।

खंड ए, बी और सी

कोई भी दस्तावेज़ जैसे कि

डी. ई.

पी. एल. को अनुबंध।

उप-धारा 7।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैठक के कार्यवृत्त, आदि।

जेसी

यह दिखाने के लिए कि वास्तव में

पा.

अनुबंध दिया गया

फू।

जे. डी. आई. एल. के कारण डी. ई. पी. एल.।

को.

द.

इसके अलावा, अगर ओएनजीसी ने किया

डब्ल्यू.

निविदा का पुरस्कार दें

बी.

जे. डी. आई. एल. के कारण डी. ई. पी. एल.

नहीं।

जैसा कि आरोप लगाया गया है, यह स्पष्ट रूप से

सिग।

अनुचितता दिखाता है

को.

ओ. एन. जी. सी. और

ओ.

इस तरह की कार्रवाई खिलाफ है समता और प्राकृतिक

न्याय।

लेटरहेड के माध्यम से,

डी. ई. पी. एल. डी. पी. का एक हिस्सा है।

जिंदल समूह पर लेख

ऐसी कंपनियाँ जो

डी. ई. पी. एल. की वेबसाइट, बोली लगाएँ

दस्तावेज़

तथ्य को स्वीकार किया। लेकिन जे. डी. आई. एल.

डी. ई. पी. एल द्वारा प्रस्तुत

और डी. ई. पी. एल. दो हैं

ओएनजीसी के पास है

अलग से

निगमित

इकाइयाँ। वहाँ कोई नहीं है

यह दर्शाता है कि

के बीच संबंध

डी. पी. का एक हिस्सा

जिंदल ग्रुप ऑफ टू। और भी हैं।

डी. ई. पी. एल. कंपनियां। डी. पी. जिंदल की कंपनियाँ

कंपनियों का समूह

एमएसएल सहित,

जिंदल पाइप आदि।

के निदेशकों

उस पर कोई पट्टी नहीं है

DEPL संबंधित है

किसी का निदेशक पद

जे. डी. आई. एल. के एम. डी.

व्यक्ति और यह एक नहीं है

साक्ष्य के आधार पर

(बेटा और बेटी

समूह का कौन सा सिद्धांत है

इन-लॉ)।

कंपनियां हो सकती हैं

आह्वान किया। यह केवल एक आरोप निराधार

कानून और तथ्य।

यह एक अलग उद्यम था।

श्री मानव द्वारा शुरू किया गया

कुमार अपने दम पर।

मध्यस्थता

कोई अंतर्निहित नहीं है

अ.

अनुबंध जिसमें जे. डी. आई. एल.

द्वारा हस्ताक्षरित समझौता

कोई दिलचस्पी है। जे. डी. आई. एल

ए में एक कंपनी

कभी पार्टी नहीं थी या थी

कम्पनियों का समूह

से उत्पन्न होने वाले कोई भी लाभ

अन्य गैर को बांधता है हस्ताक्षरकर्ता

के बीच अनुबंध

डी. ई. पी. एल. और ओ. एन. जी. सी.

कम्पनियाँ, जब

अंतर्निहित अनुबंध फायदा उठाना चाहते हैं

ओएनजीसी और जे. डी. आई. एल. ने

गैर-हस्ताक्षरकर्ता के रूप में

चार अलग-अलग अनुबंध

तत्काल मामले में।

जो टी. सी. का हिस्सा हैं

47-50 2016 का

कार्यवाही।

प्राकृतिक गैस निगम। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

और डी. ई. पी. एल. बहुत सारे व्यवसाय हैं

व्यवसाय

आम कार्यालयों में

पता (जैसे।

इमारत/समान

टाटा

कंपनियाँ)। बस उस पर

. ईएस।

उसी के आधार पर, यह

कि वे एक हैं और एक ही। विशेष रूप से आज '

सह-कार्य करने का समय

कंपनियाँ काम करती हैं उसी परिसर से "।

15. श्री श्याम द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है

एन, प्रत्यर्थी की ओर से वरिष्ठ वकीलः

((i)

इस तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है कि डी. ई. पी. एल.

डी. पी. जिंदल समूह का हिस्सा, फिर भी जे. डी. आई. एल. की डी. ई. पी. एल. में कोई हिस्सेदारी नहीं है। न तो कोई क्रॉस शेयरधारिता है और न ही कोई

सामान्य निदेशक;

((ख)

2010 में डी. ई. पी. एल. ने डी. पी. जिंदल समूह का हिस्सा बनना बंद कर दिया।

हालांकि, जे. डी. आई. एल. अन्य समूह संस्थाओं जैसे डी. पी. जिंदल समूह की कंपनियों का हिस्सा बना हुआ है।

जैसे महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड और जिंदल पाइप्स लिमिटेड। ;

जे. डी. आई. एल. आवश्यकतानुसार मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है।

(iii)

1996 के अधिनियम की धारा 7 के तहत और डी. ई. पी. एल. के खिलाफ दावों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है कि

जे. डी. आई. एल. ओ. एन. जी. सी. के बीच अनुबंध का लाभार्थी था। और डी. ई. पी. एल.। ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में डी. ई. पी. एल. की ओर से जे. डी. आई. एल. द्वारा कोई गारंटी या सुविधा पत्र जारी नहीं किया गया था।

(iv) बंबई उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत नहीं दिया गया था कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. के सामान्य शेयरधारक या सामान्य निदेशक थे।

(v)

मध्यस्थता निर्णय में ओ. एन. जी. सी. के दावे पर चर्चा की गई है कि डी. ई. पी. एल.

जे. डी. आई. एल. और जे. डी. आई. एल. कंपनियों के एक ही समूह से संबंधित हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जे. डी. आई. एल. ने अनुबंध की ओर ले जाने वाली बातचीत में कोई भूमिका निभाई या उसके बाद जे. डी. आई. एल. ने डी. ई. पी. एल. की ओर से अनुबंध के निष्पादन में भाग लिया। इसलिए, कंपनियों के समूह के सिद्धांत को अभियोग लगाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है

डी. ई. पी. एल. के कथित कृत्यों और चूक के लिए जे. डी. आई. एल.; [2022] 4 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

1996 के अधिनियम की धारा 7 के तहत, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता होना चाहिए। अभिव्यक्ति 'पार्टी' को धारा 2 (1) (एच) में परिभाषित किया गया है। दोनों प्रावधानों में मुख्य शब्द "मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष" और पक्ष द्वारा मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है। जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल. अलग-अलग इकाइयाँ हैं। डी. ई. पी. एल. की स्थापना 2003 में की गई थी। जे. डी. आई. एल. की स्थापना 1983 में हुई थी। इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। हालांकि

डी. ई. पी. एल. डी. पी. जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित थी।

2010 में समूह का हिस्सा बने रहना बंद कर दिया। यह तथ्य कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. एक साझा कार्यालय साझा करते थे, कोई प्रासंगिकता नहीं है। ओ. एन. जी. सी. के गवाह ने कहा कि उन्हें पता चला कि श्री जी. डी. शर्मा (जिन्होंने डी. ई. पी. एल. की ओर से हस्ताक्षर किए थे) अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही जे. डी. आई. एल. के कर्मचारी हैं। इसलिए ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं था कि जे. डी. आई. एल. इसके लिए बोली लगा रहा था।

अनुबंध। जे. डी. आई. एल. की कार्यकारिणी का संगठन डी. ई. पी. एल. को सहायता प्रदान करना था और इससे अधिक कुछ नहीं; और ओ. एन. जी. सी. के गवाह को तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह

नहीं थाः

बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची में शामिल;

ए।

पुरस्कार के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा

बी।

अनुबंध का;

निविदा समिति द्वारा विचार-विमर्श के लिए एक पक्ष

सी।

अनुबंध के पुरस्कार के लिए;

उस समय उपस्थित जब अनुमोदन दिया गया था

डी।

अनुबंध का पुरस्कार; और

ओ. एन. जी. सी. के भीतर विचार-विमर्श का पक्षकार।

ई.

गवाह ने कहा कि उसने वेबसाइट का उपयोग किया है

22 मार्च 2006 को अनुबंध दिए जाने के बाद पहली बार जून 2008 में डी. ई. पी. एल. इसलिए ओ. एन. जी. सी. यह दावा करने के लिए तैयार नहीं है कि डी. ई. पी. एल. या जे. डी. आई. एल. ने ओ. एन. जी. सी. को बताया कि डी. ई. पी. एल. जे. डी. आई. एल. की एक समूह कंपनी थी या ओ. एन. जी. सी. ने अपनी वेबसाइट पर जे. डी. आई. एल. द्वारा किसी भी प्रतिनिधित्व के कारण अनुबंध प्रदान किया था।

ऑयललैंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

सी विश्लेषण

सी. 1. कंपनी समूह सिद्धांत

16. धारा 7 1 7 एक मध्यस्थता समझौते का प्रावधान करती है। इसके लिए

1996 के अधिनियम के भाग-I के उद्देश्य से, एक मध्यस्थता समझौते को पक्षकारों द्वारा एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। एक मध्यस्थता समझौता या तो एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है। या एक अलग समझौते का रूप लें। एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होना चाहिए लेकिन यह निम्न में निहित हो सकता हैः

पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़;

((i) (

(ख)

संचार का आदान-प्रदान; और

दावा और बचाव के बयान का आदान-प्रदान जिसमें

एक आरोप है कि एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है

दूसरे पक्ष द्वारा इनकार नहीं किया गया।

धारा 7 की उप-धारा (5) में कहा गया है कि

मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए अनुबंध एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदिः

अनुबंध लिखा गया है; और

(1)

((ख)

संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड को एक

अनुबंध का हिस्सा।

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। (4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है -

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या
(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें

समझौते का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए। "[2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. अभिव्यक्ति "पक्ष" को धारा 2 (एच) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष। "पार्टियाँ" शब्द की व्याख्या

प्रत्यर्थी ने बिक्री का समझौता किया था। समझौते में, विक्रेता को पहले प्रतिवादी और उसकी सहायक कंपनियों को शामिल करने के लिए वर्णित किया गया था। दूसरे उत्तरदाता को खरीदार और इंडोविंड के प्रवर्तक के रूप में वर्णित किया गया था। समझौते के तहत, विक्रेता एक प्रतिफल के लिए व्यावसायिक परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हुआ जो आंशिक रूप से धन में और आंशिक रूप से देय था। शेयर जारी करके। बिक्री समझौते में किसी भी विवाद के मध्यस्थता के लिए एक खंड भी शामिल किया गया था। प्रथम और द्वितीय का निदेशक मंडल

प्रत्यर्थी ने समझौते को मंजूरी दी, लेकिन बोर्ड ऑफ इंडोविंड द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई। विवाद उत्पन्न होने के बाद, पहले प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दूसरे प्रतिवादी और इंडोविंड दोनों के खिलाफ धारा 11 (6) के तहत एक याचिका दायर की। इंडोविंड ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि यह पहले और दूसरे प्रतिवादी के बीच समझौते का पक्षकार नहीं था। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन को मंजूरी दी कि प्रथम दृष्टया

कॉर्पोरेट पर्दा उठाने और बिक्री समझौते से बंधे रहने के इंडोविंड के इरादे को देखने के बाद इंडोविंड एक पक्ष था। इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए दो मुद्दे तैयार किए गए थेः

(i) क्या दो पक्षों के बीच एक दस्तावेज़ (समझौते) में पाया गया एक मध्यस्थता खंड, एक ऐसे व्यक्ति पर एक बाध्यकारी मध्यस्थता समझौते के रूप में माना जा सकता है जो समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है;

((ii) क्या किसी कंपनी को मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध का पक्षकार कहा जा सकता है, भले ही उसने अपने बाद के आचरण के संदर्भ में मध्यस्थता खंड वाले समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हों।

न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन ने इंडोविंड (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि यदि इंडोविंड ने किसी पत्राचार, समझौते या दस्तावेज में स्वीकार या पुष्टि की थी कि वह एक पक्ष था प्रथम और द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच मध्यस्थता समझौता या यह कि वह उस अनुबंध में निहित मध्यस्थता समझौते से बाध्य था, यह कहना संभव हो सकता था कि इंडोविंड मध्यस्थता और प्राकृतिक गैस निगम का एक पक्ष है।

मन में। हालाँकि यह स्थिति नहीं थी। इंडोविंड ए) में निर्णय धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन के संदर्भ में था। एक पक्ष एच ने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया थाइस आधार पर कि मध्यस्थता का समझौता इसके लिए काम नहीं करता था। अदालत ने कॉर्पोरेट घूंघट को छेदने से इनकार कर दिया और भरोसा किया

धारा 7 की सख्त व्याख्या इस प्रकार हैः

" 17. यह विवाद में नहीं है कि सुबुथी और इंडोविंड दो हैं।

कंपनी अधिनियम के तहत निगमित स्वतंत्र कंपनियां,

1956. प्रत्येक कंपनी एक अलग और विशिष्ट कानूनी इकाई है।

और केवल यह तथ्य कि दोनों कंपनियों में समानता है

शेयरधारक या सामान्य निदेशक मंडल, नहीं करेगा

दोनों कंपनियाँ एक ही इकाई हैं। न ही अस्तित्व होगा।

सामान्य शेयरधारकों या निदेशकों के कारण एक निष्कर्ष निकलता है

कि एक कंपनी दूसरी के कार्यों से बाध्य होगी। अगर सुबुथी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले निदेशक भी इंडोविंड के निदेशक थे और यदि पक्षों का इरादा था कि इंडोविंड को समझौते से बंधा होना चाहिए, तो वेसकेयर को इस बात पर जोर देने से कोई नहीं रोक सका कि इंडोविंड को समझौते में एक पक्ष बनाया जाना चाहिए और सुबुथी के लिए हस्ताक्षर करने वाले निदेशक से भी हस्ताक्षर करने का अनुरोध करना चाहिए।

इंडोविंड की ओर से।

18. यह तथ्य कि पार्टियों ने सावधानीपूर्वक ऐसा करने से परहेज किया

[... .....] 20. वेसकेयर ने कई अधिनियमों और लेन-देनों के साथ-साथ इंडोविंड के आचरण का भी उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि एक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि इंडोविंड समझौते का एक पक्ष था या उसने समझौते की पुष्टि और अनुमोदन किया था या समझौते के संदर्भ में कार्य किया था। पार्टियों के बीच लेन-देन की जांच यह तय करने के लिए कि क्या कोई वैध अनुबंध है या कोई विशेष पक्ष [2022] 4 एस. सी. आर.

अनुबंध का उल्लंघन किया था, एक मुकदमे में संभव होगा या हानि या निष्पादन का दावा करने वाली मध्यस्थता कार्यवाही। लेकिन द.

धारा 11 के तहत एक कार्यवाही में मुद्दा यह नहीं है कि क्या वहाँ था

पक्षों के बीच कोई अनुबंध या उसका कोई उल्लंघन। एक अनुबंध मौखिक रूप से भी प्रवेश किया जा सकता है। एक अनुबंध से लिखा जा सकता है

पत्राचार या आचरण। लेकिन एक मध्यस्थता समझौता है एक अनुबंध से अलग। मध्यस्थता समझौता हो सकता है

अस्तित्व में केवल नीचे विचार किए गए तरीके से

धारा 7. यदि धारा 7 कहती है कि एक मध्यस्थता समझौता

लिखित में होना चाहिए, यह याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त नहीं होगा

धारा 11 के तहत एक आवेदन में यह दिखाने के लिए कि वहाँ मौजूद था

पक्षों के बीच एक मौखिक अनुबंध, या जो इंडोविंड के पास था

वेसकेयर के साथ लेन-देन किया, या वेसकेयर ने कुछ निश्चित प्रदर्शन किया था

मध्यस्थता के प्रमाण के रूप में इंडोविंड के संदर्भ में कार्य करता है

समझौता।

[.....]

24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इंडोविंड ने स्वीकार किया होता

या किसी पत्राचार या अन्य समझौते में पुष्टि की गई या

दस्तावेज़, कि यह मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है दिनांकित 24-2-2006 या यह कि यह मध्यस्थता द्वारा बाध्य है

उस में निहित समझौता, यह संभव हो सकता था

यह कहना कि इंडोविंड मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष है।

लेकिन यह धारा 7 (4) (ए) के तहत नहीं होगा, बल्कि इसके तहत होगा।

धारा 7 (4) (बी) या धारा 7 (5)। जो भी हो सकता है। वह यह है कि

वेसकेयर द्वारा जारी किया गया समझौता दिनांकित 24-2 का उल्लेख नहीं करता है। 2006. न ही इंडोविंड द्वारा कोई पत्र या पत्राचार भेजा जाता है।

दिनांकित 24-2-2006 समझौते को या तो एक समझौते के रूप में देखें

उसके द्वारा या उस पर बाध्यकारी समझौते के रूप में निष्पादित किया गया।

(जोर दिया गया)

18. इसके बाद, क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में, एक तीन-न्यायाधीश

इस न्यायालय के एच ने धारा 45 के प्रावधानों पर विचार किया, जो 1996 के अधिनियम के I में आता है जो विदेशी मध्यस्थता डी. एस. के प्रवर्तन से संबंधित है। धारा 45 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आर. टी. I. में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एक न्यायिक प्राधिकरण, जब किसी ऐसे मामले में कार्रवाई करता है जिसमें पक्षों ने लिखित रूप में एक समझौता किया है।ए. टी. आई. एन. पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर या तेल प्राकृतिक गैस निगम का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर होगा।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उसके माध्यम से या उसके अधीन पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें जब तक कि यह न पाए कि समझौता अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित होने में असमर्थ है। धारा 45 में "माध्यम से या उसके तहत" अभिव्यक्तियों की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित किया गया कि हालांकि एक मध्यस्थता आम तौर पर मध्यस्थता समझौते के पक्षों के बीच होगी, यह एक मध्यस्थता समझौते के हस्ताक्षरकर्ता और तीसरे पक्ष के बीच भी हो सकती है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि मध्यस्थता समझौते का दायरा उन पक्षों तक सीमित है जिन्होंने इसमें प्रवेश किया है और जो उनके तहत या उनके माध्यम से दावा करते हैं, अंग्रेजी कानून के तहत अदालतों ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को विकसित किया है।

वास्तव में, सिद्धांत यह मानता है कि एक मध्यस्थता समझौता जो कंपनियों के एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा किया गया है, उसके गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों या सहयोगी चिंताओं को बाध्य कर सकता है यदि परिस्थितियाँ हस्ताक्षरकर्ता और संबद्ध, गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को बाध्य करने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करती हैं। अवधारणा के बारे में विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने कहाः

" 71. यद्यपि एक मध्यस्थता समझौते का दायरा उन पक्षों तक सीमित है जो इसमें प्रवेश करते हैं और जो उनके तहत या उनके माध्यम से दावा करते हैं, अंग्रेजी कानून के तहत अदालतों ने कुछ मामलों में "कंपनियों के समूह सिद्धांत" को भी लागू किया है। यह सिद्धांत है

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विकसित किया गया है, जिसके तहत एक कंपनी द्वारा किया गया एक मध्यस्थता समझौता, जो कंपनियों के एक समूह के भीतर है, अपने गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों या बहन या मूल चिंताओं को बाध्य कर सकता है, अगर परिस्थितियां प्रदर्शित करती हैं कि पारस्परिक

सभी पक्षों का इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों दोनों को बांधना था। इस सिद्धांत को कई मध्यस्थताओं में लागू किया गया है ताकि एक ऐसे पक्ष पर अधिकार क्षेत्र लेने वाले न्यायाधिकरण को उचित ठहराया जा सके जो मध्यस्थता वाले अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

समझौता। [मध्यस्थता पर रसेल (23 वीं संस्करण)]

72. यह इस सिद्धांत को विकसित करता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को मध्यस्थता के अधीन किया जा सकता है बशर्ते कि ये लेनदेन उनके साथ हों। कंपनियों का समूह और हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को बांधने का पक्षों का स्पष्ट इरादा था। दूसरे शब्दों में, "पक्षों का इरादा" एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे मध्यस्थता के दायरे में हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को शामिल करने से पहले स्थापित किया जाना चाहिए।

यह देखते हुए कि यह केवल असाधारण मामलों में होगा, क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में न्यायालय ने कहा कि इन अपवादों की जांच की जाएगी।

के टचस्टोन परः

मध्यस्थता के लिए हस्ताक्षरकर्ता पक्ष के साथ एक सीधा संबंध

(1)

समझौता;

((ख)

विषय वस्तु की प्रत्यक्ष समानता; और

(iii)

क्या समझौता एक समग्र लेन-देन का है जहाँ

मातृ समझौते का निष्पादन सहायक के निष्पादन या प्रदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकता है या

सहायक समझौता।

19. क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में निर्धारित गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य करने का सिद्धांत घरेलू मध्यस्थता के संदर्भ में लागू किया गया था।

अमित लालचंद शाह और अन्य। वी. ऋषभ एंटरप्राइजेज एंड एन. आर. 18 1 8. इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तत्कालीन संशोधित 1 प्रावधानों के आवेदन के संदर्भ में कहा कि 2015 में धारा 8 में संशोधन ने इसे 1996 के अधिनियम की धारा 45 के अनुरूप बना दिया था। संशोधन से पहले, 1996 के अधिनियम की धारा 8 (1) में प्रावधान किया गया था कि मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन कर सकता है। संशोधित धारा 8 (1) ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता के लिए किसी पक्ष के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला व्यक्ति भी मध्यस्थता के संदर्भ की मांग कर सकता है।

न्यायिक पूर्ववर्ती। अमित लालचंद (ऊपर) में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए कंपनियों के समूह के सिद्धांत का आह्वान नहीं किया, बल्कि यह क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) पर निर्भर करता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मातृ समझौते में मध्यस्थता खंड से बाध्य होगा, क्योंकि यह एक है

20. चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत की व्याख्या की और उसे लागू किया मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ घरेलू मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन का संदर्भ। न्यायालय ने कहा कि

इंडोविंड (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा कंपनियों के समूह के सिद्धांत के विकास और अनुप्रयोग से पहले प्रस्तुत किया गया थाः

" 23. जैसे-जैसे कानून विकसित हुआ है, यह माना गया है कि आधुनिक व्यावसायिक लेनदेन अक्सर कई परतों के माध्यम से किए जाते हैं और

समझौते। एक समूह के भीतर लेन-देन हो सकते हैं

18 (2018) 15 एससीसी 678 19 1 9 मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ("2015 संशोधन")

ऑयललैंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कंपनियाँ। जिन परिस्थितियों में वे प्रवेश कर चुके हैं

वे एक ही समूह के भीतर हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों संस्थाओं को बांधने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। मध्यस्थता समझौते से बंधे गैर-हस्ताक्षरकर्ता को अभिनिर्धारित करने में, न्यायालय लेन-देन को उस व्यावसायिक अर्थ के अनुरूप एक अर्थ बताकर मामले का रुख करता है जिसका उन्हें श्रेय दिया जाना था।

इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के साथ हस्ताक्षर न करने वाले का संबंध, विषय-वस्तु की समानता और लेन-देन की समग्र प्रकृति जैसे कारक संतुलन में वजन करते हैं। कंपनियों का समूह सिद्धांत अनिवार्य रूप से है

इसका उद्देश्य पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से आयोजित इरादे की पूर्ति को सुविधाजनक बनाना है, जहां परिस्थितियां इंगित करती हैं कि इरादा हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधना था। प्रयास व्यावसायिक व्यवस्था के वास्तविक सार को खोजने और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की एक स्तरित संरचना से बाहर निकलने का है, किसी ऐसे व्यक्ति को बांधने का इरादा है जो औपचारिक रूप से हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन जिसने माना है कि

एक हस्ताक्षरकर्ता के कार्यों से बाध्य होने का दायित्व।

चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में इस न्यायालय ने दुनिया भर में न्यायिक रुझानों की जांच करने वाले शैक्षणिक साहित्य का भी विश्लेषण किया। यह नोट किया गया है

कि पक्षों के बीच मध्यस्थता करने का लिखित इरादा गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बांधने के लिए विस्तारित हो सकता है जिसका उद्देश्य ऋण के योग्य सदस्य को लक्षित करना है।

कंपनियों का समूह। हालाँकि, कंपनियों के अलग-अलग कानूनी व्यक्तित्वों के सिद्धांत को भी संतुलित करना होगा। मध्यस्थता समझौते के निर्माण, अनुबंध में प्रवेश करने के समय के इरादे और अंतर्निहित अनुबंध के प्रदर्शन पर गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को बांधने के लिए कॉर्पोरेट घूंघट को छेदा जा सकता हैः

" 25. क्या धारा 7 के अनुसार, मध्यस्थता समझौते के लिखित होने की आवश्यकता उन तीसरे पक्षों को बाध्य करने की संभावना को बाहर करती है जो दो संविदाकारी संस्थाओं के बीच एक समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं हो सकते हैं? अकादमिक साहित्य के विकसित निकाय के साथ-साथ न्यायिक रुझानों से संकेत मिलता है कि कुछ स्थितियों में, दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता काम कर सकता है।

अन्य दलों को भी बांधना। रेडफर्न और हंटर बताते हैं कि

इस सिद्धांत की सैद्धांतिक नींवः

दो या दो से अधिक के बीच उचित रूप में संपन्न समझौता अन्य दलों को भी बाध्य करने वाले पक्ष। मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष [2022] 4 एस. सी. आर.

समझौते को बाध्य माना गया है (या भरोसा करने का हकदार है)

) विभिन्न तरीकों से ऐसा समझौताः पहला, 'कंपनियों के समूह' सिद्धांत के संचालन द्वारा जिसके अनुसार मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले लाभ और कर्तव्य कुछ परिस्थितियों में कंपनियों के एक ही समूह के अन्य सदस्यों के लिए विस्तारित किया जाएगा; और, दूसरा, के संचालन द्वारा

निजी कानून के सामान्य नियम, मुख्य रूप से असाइनमेंट, एजेंसी,

और उत्तराधिकार। 99.] ”

कंपनियों के समूह के सिद्धांत को ब्याज में "सच्चे" पक्ष का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट घूंघट को भेदने के लिए लागू किया गया है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, कंपनियों के एक समूह के क्रेडिट योग्य सदस्य को लक्षित करने के लिए। 16 , 2.40 , पी। 100.] . यद्यपि इसका विस्तार इस सिद्धांत को कानूनी आधार पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है

निगमित व्यक्तित्व का आरोप, सिद्धांत का अनुप्रयोग

मध्यस्थता समझौते के निर्माण को चालू करता है और

अंतर्निहित अनुबंध में प्रवेश और उसके निष्पादन से संबंधित परिस्थितियाँ। [आईडी, पी पर 2.41। 100.] "

चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में इस न्यायालय ने क्लोरो कंट्रोल्स (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत को भी अपने आवेदन से अलग किया।

ड्यूरो फेलगुएरा बनाम में धारा 11 (6) का संदर्भ। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड 20. ड्यूरो फेलगुएरा (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मूल मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से एक की सहयोगी संस्थाओं के बीच पांच अलग-अलग अनुबंधों में एक संयुक्त मध्यस्थता का निर्देश देने से इनकार कर दिया, पक्षकारों के सचेत इरादे का सम्मान करते हुए कि वे अपने व्यक्तिगत अनुबंधों के तहत अलग-अलग मध्यस्थता समझौतों के अधीन हों। यह चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) में अदालत ने पक्षों के आपसी इरादे और अनुबंध के प्रदर्शन को समझकर ड्यूरो फेलगुएरा (ऊपर) में तथ्यात्मक स्थिति को अलग कियाः

" 34. [.....] वह सिद्धांत जो क्लोरो कंट्रोल्स [क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड v. सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 689] एक मध्यस्थता समझौता है जो एक समूह के भीतर एक कंपनी द्वारा किया जाता है

कंपनियां गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों को बाध्य कर सकती हैं, यदि परिस्थिति

ये ऐसे हैं जो हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं दोनों को बांधने के लिए पक्षों के आपसी इरादे को प्रदर्शित करते हैं। सिद्धांत को लागू करने में, कानून पक्षों के सामान्य इरादे को लागू करने का प्रयास करता है,

20 (2017) 9 एस. सी. सी. 729 ["ड्यूरो फेलगुएरा"] ऑयलेंड नैचुरल गैस कॉर्प।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

जहाँ परिस्थितियाँ इंगित करती हैं कि दोनों हस्ताक्षरकर्ता और गैर

हस्ताक्षरकर्ताओं को बाध्य होने का इरादा था। ड्यूरो में [ड्यूरो फेलगुएरा बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764], मामला एक अलग आधार पर खड़ा माना गया था क्योंकि सभी पांच अलग-अलग पैकेजों के साथ-साथ कॉर्पोरेट गारंटी मूल पैकेज के नियमों और शर्तों पर निर्भर नहीं थी और न ही पक्षों के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन पर। ड्यूरो में निर्णय [ड्यूरो फेलगुएरा बनाम। गंगावरम

पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: (2017) 4 SCC (Civ) 764] नहीं है

क्लोरो में प्रतिपादित सिद्धांत से हटें

कंट्रोल्स [क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड v. सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 689]। ”

21. कंपनियों के समूह के सिद्धांत को बाद में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने रेकिट बेंकिजर (भारत) पी. में लागू किया था।

लिमिटेड वी. रेयंडर्स लेबल प्रिंटिंग 2 1 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई गैर-हस्ताक्षरकर्ता है

विदेशी कंपनी, कंपनियों के एक ही समूह के भीतर, एक घरेलू मध्यस्थता में शामिल की जा सकती है। इस न्यायालय ने क्लोरो नियंत्रण (ऊपर) और चेरन संपत्ति (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सिद्धांतों को नोट किया।

और निम्नलिखित का आकलन करने के बाद इसकी अप्रयोज्यता को नोट किया:

दोनों कंपनियों के बीच कथित सामान्य कर्मचारी

((i)

एक ही समूह में वास्तव में स्थापित किया गया था कि कोई नहीं है

विदेशी कंपनी के साथ संबंध; और विदेशी कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का मात्र अस्तित्व,

((ख)

किसी अन्य कारक की अनुपस्थिति में, मध्यस्थता समझौते से बंधे होने और/या अंतर्निहित कार्य निष्पादन से लाभ प्राप्त करने के अपने इरादे को इंगित नहीं करेगा। अनुबंध।

22. एम. टी. एन. एल. (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ एक ऐसी स्थिति पर विचार कर रही थी जिसमें एम. टी. एन. एल. ने केन को कुछ बांड जारी किए थे।

बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 22 एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से। बांड राशि एम. टी. एन. एल. द्वारा कैनफिना के साथ एक एफ. डी. में रखी गई थी। कैनफिना ने एफ. डी. की राशि का एक हिस्सा वापस कर दिया जबकि बाकी का भुगतान एम. टी. एन. एल. को नहीं किया गया। नतीजतन, एम. टी. एन. एल. ने बांडों के ब्याज की सेवा नहीं की। कैनफिना केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। कैनफिना ने बांड को केनरा बैंक को हस्तांतरित कर दिया था। इसके बाद, तीनों पक्ष 21 (2019) 7 एस. सी. सी. 62 22 "कैनफिना" [2022] 4 एस. सी. आर.

एक बैठक में भाग लिया था जहाँ कार्यवृत्त ने मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए उनके विचार का संकेत दिया था। विवाद को हल करने के लिए एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था और मध्यस्थता में एम. टी. एन. एल., केनरा बैंक और कैनफिना को नोटिस जारी किया गया था। एक विवाद उठाया गया था कि क्या कैनफिना को मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाही में कैनफिना के जॉइंडर के साथ व्यवहार करते हुए कहाः

" 10.3 . एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता "कंपनियों के समूह" सिद्धांत के आधार पर एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है, जहां पक्षों का आचरण हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों दोनों को बांधने के लिए पक्षों के स्पष्ट इरादे का प्रमाण देता है। अदालतों और न्यायाधिकरणों ने इस सिद्धांत को एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता में शामिल होने के लिए लागू किया है। समूह के सदस्य, यदि वे संतुष्ट हैं कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी पक्षों के सामान्य इरादे के संदर्भ में थी,

अनुबंध के लिए एक आवश्यक पक्ष।

उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए जिनमें समूह

अदालत ने कहा कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने के लिए कंपनियों के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता हैः

" 10.5 . कंपनियों के समूह के सिद्धांत को न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता में लागू किया गया है, जहां एक मध्यस्थता समझौता है

समूह की कंपनियों में से एक द्वारा प्रवेश किया गया; और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी, या बहन, या मूल संस्था, को मध्यस्थता समझौते से बाध्य माना जाता है, यदि इसके तथ्य और परिस्थितियाँ

मामला दर्शाता है कि समूह में हस्ताक्षरकर्ताओं और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों दोनों को बांधना सभी पक्षों का आपसी इरादा था। इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता हो सकता है

एक मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य जहां माता-पिता या

धारक कंपनी, या कंपनियों के समूह का सदस्य

मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है और गैर

समूह पर हस्ताक्षरकर्ता इकाई में लगी हुई है वाणिज्यिक अनुबंध की बातचीत या निष्पादन, या

द्वारा बाध्य होने के अपने इरादे का संकेत देते हुए बयान दिए गए

अनुबंध, गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी बाध्य होगा और संबंधित अनुबंधों से लाभान्वित। [1982 के आई. सी. सी. मामले संख्या 4131 में अंतरिम पुरस्कार, IX YB Com Arb 131 (1984); 1988 का आई. सी. सी. मामला संख्या 5103,115 जे. डी. आई. (क्लूनेट) 1206 (1988) में पुरस्कार। गैरी बी. बोर्न को भी देखें। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, खंड।

आई, 2009, पीपी।

1170-1171 .] ऑयललैंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

10.6 . वे परिस्थितियाँ जिनमें "कंपनियों का समूह"

एक के गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी को बांधने के लिए सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है

मूल कंपनी, या किसी मध्यस्थता में किसी तीसरे पक्ष को शामिल करना, यदि उस पक्ष के बीच सीधा संबंध है जो हस्ताक्षरकर्ता है

मध्यस्थता समझौते के लिए; विषय की प्रत्यक्ष समानता

मामला; के बीच लेनदेन की समग्र प्रकृति

पार्टियाँ। एक "समग्र लेनदेन" एक ऐसे लेनदेन को संदर्भित करता है जो

सहायता, निष्पादन और प्रदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकता है प्राप्त करने के लिए पूरक या सहायक समझौते का

सामान्य उद्देश्य, और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालना।

10.7 . कंपनियों के समूह के सिद्धांत को भी लागू किया गया है

ऐसे मामले जहां मजबूत समूह संरचना हो

आर्थिक इकाई, या एकल आर्थिक वास्तविकता। ऐसी स्थिति में, हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को एक साथ बांध दिया गया है

मध्यस्थता समझौता। यह विशेष रूप से तब लागू होगा जब एक कंपनी के धन का उपयोग वित्तीय सहायता या पुनर्गठन के लिए किया जाता है।

समूह के अन्य सदस्य। [1982 का आई. सी. सी. मामला सं. 4131, आई. सी. सी.

1988 का मामला सं. 5103।] . "

(जोर दिया गया)

तथ्यों पर, अदालत ने माना कि कैनफिना को पूरी तरह से स्थापित किया गया था

केनरा बैंक की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। यह विवाद एम. टी. एन. एल. द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की कैनफिना द्वारा सदस्यता के कारण उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में कैनफिना द्वारा अपनी होल्डिंग कंपनी, केनरा बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया। एम. टी. एन. एल. ने तर्क दिया था कि यह रद्द करने के लिए विवश था

कैनफिना द्वारा बिक्री प्रतिफल का भुगतान न करने के कारण आवंटन। इसलिए, इस अदालत ने कहा कि कैनफिना की अनुपस्थिति में केवल एम. टी. एन. एल. और केनरा बैंक के बीच विवाद का फैसला करना व्यर्थ होगा।

निर्विवाद रूप से, मूल लेनदेन एम. टी. एन. एल. और कैनफिना के बीच समझौते से हुआ था और बांड जारी करने, कैनफिना द्वारा केनरा बैंक को उनके बाद के हस्तांतरण और एम. टी. एन. एल. द्वारा आवंटन को रद्द करने के बीच "एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध" था। कैनफिना को कार्यवाही में एक उचित पक्ष माना गया था।

23. टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि एक हस्ताक्षरित लिखित समझौता

मध्यस्थता के लिए वर्तमान या भविष्य के विवाद को प्रस्तुत करना किसी तीसरे पक्ष को बाध्य करने वाले मध्यस्थता समझौते की संभावना को बाहर नहीं करता है। एक गैर हस्ताक्षरकर्ता कंपनियों के समूह [2022] 4 एस. सी. आर. के संचालन से बाध्य हो सकता है।

सिद्धांत के साथ-साथ कार्य, अभिकरण और उत्तराधिकार के सिद्धांतों के संचालन द्वारा। 2 3 एक पक्ष, जो मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, मध्यस्थता करने के लिए समझौते से बाध्य हो सकता है यदि वह समझौते को निष्पादित करने वाले पक्ष का अहंकार है। यह अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांत से अलग है कि कंपनियों के समूह में प्रत्येक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। ए.

गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है जहाँः

कंपनियों का एक समूह मौजूद है; और

(1)

((ख)

पार्टियाँ आचरण में लगी हुई हैं या बयान दे चुकी हैं

एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बांधने का इरादा दर्शाता है।

24. गैरी बी. इंटरनेशनल कमर्शियल पर अपने ग्रंथ में जन्मे

मध्यस्थता इंगित करती है किः

" यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते द्वारा बाध्य (और लाभान्वित) है, प्रमुख कानूनी आधार में विशुद्ध रूप से सहमति वाले सिद्धांत (जैसे, एजेंसी, धारणा, असाइनमेंट) और गैर-सहमति वाले सिद्धांत (जैसे कि अवरोध, अहंकार को बदलना) दोनों शामिल हैं। 24 "

मध्यस्थता में अहंकार परिवर्तन सिद्धांत के अनुप्रयोग की व्याख्या करते हुए, बॉर्न ने यह भी नोट कियाः

" लगभग सभी क्षेत्राधिकारों के अधिकारियों का मानना है कि एक पक्ष जिसने मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के लिए सहमति नहीं दी है, फिर भी वह खंड से बाध्य हो सकता है यदि वह पक्ष किसी संस्था का 'परिवर्तन अहंकार' है जिसने समझौते को निष्पादित किया था, या अन्यथा एक पक्ष था। यह एक महत्वपूर्ण, लेकिन असाधारण, प्रस्थान है

मौलिक सिद्धांत. कि प्रत्येक कंपनी के एक समूह में कंपनियाँ (एक अपेक्षाकृत आधुनिक अवधारणा) एक अलग कानूनी इकाई है।

25 जिनके पास अलग-अलग अधिकार और देनदारियाँ हैं।

[.....]

" कंपनियों के समूह का सिद्धांत एजेंसी के सिद्धांतों या निहित सहमति के समान है, जिसके तहत अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के बीच कॉर्पोरेट संबद्धता इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार प्रदान

करती है कि वे गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में उनकी औपचारिक स्थिति के बावजूद किसी समझौते के पक्षकार बनने के लिए थे।

24 गैरी बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता द्वितीय संस्करण। , खण्ड. 1 , पृष्ठ 1418 25 Id.at पृष्ठ 1432 पर 26 आईडी.

पृष्ठ 1450 ऑयलैंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन पर। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

25. हाल ही में, जॉन फेलास ने एक बंधन के सिद्धांत पर विस्तार से बताया

सिद्धांत के चश्मे से मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता एस्टोपेल से। उन्होंने मध्यस्थता समझौतों की व्याख्या करने में पक्ष की स्वायत्तता और सहमति के प्रतिस्पर्धी विचारों के खिलाफ प्रत्यक्ष बहिष्कार के सिद्धांत को लागू करने के पीछे तर्क स्थापित किया। फेलास ने कहा कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष ऐसे पक्ष को अनुबंध के लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष बहिष्कार के सिद्धांत से बाध्य हो सकते हैं।

उसी के तहत मध्यस्थता करने के दायित्वों को अस्वीकार करनाः

" इस्टोपल सिद्धांत के कम से कम दो अलग प्रकार हैं।

जो हस्ताक्षर न करने वाले संदर्भ में लागू होता हैः " प्रत्यक्ष

एस्टोपेल सिद्धांत और इंटरट्वीनड एस्टोपेल के लाभ

कोई भी निषेध सिद्धांत-किसी पक्ष को लेने से प्रतिबंधित करना असंगत स्थिति या "इसे दोनों तरीकों से रखने" की मांग

जब यह अपने लाभ के लिए काम करता है तो अनुबंध पर भरोसा करके

और जब यह अपने नुकसान के लिए काम करता है तो इसे अनदेखा कर देता है। " टेपर

रियल्टी कं. वी. मोज़ेक टाइल कंपनी, 259 F.Supp। 688,692 (एसडीएनवाई 1966)।

प्रत्यक्ष लाभ सिद्धांत उस मूल सिद्धांत को दर्शाता है किसी पक्ष को अनुबंध के तहत अधिकारों का दावा करने से रोकना

लेकिन, एक ही समय में, मध्यस्थता के दायित्व को अस्वीकार करना

एक ही अनुबंध में।

[... .....]

इसके विपरीत, आपस में जुड़ा एस्टोपेल सिद्धांत इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या

कोई भी लाभ गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था, बल्कि

हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता के बीच विवाद की प्रकृति,

और, विशेष रूप से क्या "गैर-हस्ताक्षरकर्ता जिन मुद्दों की मांग कर रहा है

मध्यस्थता में हल करने के लिए समझौते के साथ जुड़े हुए हैं कि

इस्तोपेल [हस्ताक्षरकर्ता दल] ने हस्ताक्षर किए हैं. आपस में जुड़ा इस्तोपेल सिद्धांत का केंद्रीय उद्देश्य प्रभावकारिता की दृढ़ता है

विशिष्ट तथ्य को देखने पर मध्यस्थता प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है।

एक आपस में जुड़े एस्टोपेल मामले का पैटर्न "। 27

(जोर दिया गया)

26. यह तय करने में कि क्या कंपनियों के समूह के भीतर एक कंपनी है

जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी इसके लिए बाध्य होगा, कानून निम्नलिखित कारकों पर विचार करता हैः 27 जॉन फेलास, गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ मध्यस्थता करने के लिए मजबूर करने वाले हस्ताक्षरकर्ता, न्यूयॉर्क लॉ जर्नल (28 मार्च, 2022)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षों के आपसी इरादे;

((i)

((ख)

एक पक्ष के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता का संबंध जो एक है

समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता;

(iii)

विषय वस्तु की समानता;

( ) (3 (iv) लेन-देन की समग्र प्रकृति; और

((v) अनुबंध का निष्पादन।

सहमति और पार्टी की स्वायत्तता 1996 के अधिनियम की धारा 7 में निहित है। हालांकि, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को एक सहमति के सिद्धांत पर बाध्य माना जा सकता है, जो एजेंसी और असाइनमेंट पर आधारित है या गैर-सहमति के आधार पर है जैसे कि अवरोध या अहंकार को बदलना। 28 इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले के संदर्भ में समझना होगा, जहां कार्यवाही के लिए जे. डी. आई. एल. के सहयोगी पर ओ. एन. जी. सी. के प्रयास को ओ. एन. जी. सी. के दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण के आवेदन के निर्णय के बिना खारिज कर दिया गया था ताकि इस तरह के सहयोगी की आवश्यकता को साबित किया जा सके।

सी. 2. अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा के लिए मानक

27. मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अंतरिम निर्णय काफी हद तक इस तथ्य पर आधारित है कि जे. डी. आई. एल. 22 मार्च 2006 के अनुबंध का पक्षकार नहीं है। न्यायाधिकरण ने माना कि समझौता केवल ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच था। 1996 के अधिनियम की धारा 7 को स्वीकार करते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि मध्यस्थता के लिए या प्रावधान के तहत परिकल्पित विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पक्षों के बीच एक लिखित समझौता होना चाहिए। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. एन. जी. सी. द्वारा यह आग्रह किया गया था किः

व्यवसाय में रुचि की एक समानता है

(1)

डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल.; डी. ई. पी. एल. जे. डी. आई. एल. द्वारा उनके लिए बनाया गया एक कॉर्पोरेट मुखौटा है।

((ख)

विस्तारित व्यवसाय;

(iii) जे. डी. आई. एल. के अधिकारी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे

बोली प्रक्रिया; और

€ ((iv) डी. ई. पी. एल. या जे. डी. आई. एल. का कार्यालय उसी में स्थित था।

इमारत।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उपरोक्त दलीलों को खारिज कर दिया

कि जे. डी. आई. एल. को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत का "गुदगुदी" नहीं था,

28 पृष्ठ 1418 पर गैरी बोर्न, ऊपर टिप्पणी 24, ऑयलेंड नैचुरल गैस कॉर्प।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

जो एक विशिष्ट निगमित कानूनी इकाई है, "कभी भी जे. डी. आई. एल. और ओ. एन. जी. सी. के बीच अनुबंध में खुद को खोजने के लिए कोई भूमिका निभाई"। अनुबंध के निष्पादन में जे. डी. आई. एल. की भागीदारी डी. ई. पी. एल. की ओर से मानी गई थी और यह तथ्य कि डी. ई. पी. एल. के निदेशक जे. डी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक के दामाद और बहू हैं, प्रासंगिक नहीं माना गया था। 28. अंतरिम निर्णय का मूल आधार यह है कि धारा 7 के प्रावधानों और धारा 2 (1) (एच) में "पक्ष" की परिभाषा को देखते हुए, 1996 के अधिनियम के प्रावधानों को मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले पर लागू या लागू नहीं किया जा सकता था। न्यायाधिकरण ने कहा कि जे. डी. आई. एल. के खिलाफ ओ. एन. जी. सी. के दावे के आधार पर किसी भी निष्कर्ष की जांच, जांच या रिकॉर्ड करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

29. न्यायाधिकरण ने 7 जुलाई 2009 के अपने आदेश द्वारा विशेष रूप से

अभिनिर्धारित किया कि ओ. एन. जी. सी. द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जे. डी. आई. एल. की आपत्तियों का निर्णय धारा 16 के तहत आवेदन का समाधान होने पर किया जाएगा। फिर भी अंतरिम निर्णय में, अंततः न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि ओ. एन. जी. सी. का 5 जनवरी 2009 का आवेदन स्थगित रहेगा।

जब तक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा तय नहीं हो जाता। ओ. एन. जी. सी. ने यह प्रस्तुत करना उचित ठहराया कि खोज और निरीक्षण के लिए उसके आवेदन पर पहले सुनवाई की जानी चाहिए और गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा किया जाना चाहिए, जिसके बाद डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. को पक्षों के सहयोग के संबंध में उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं।

30. खोज के लिए आवेदन पर विचार करने में विफल रहने से और

निरीक्षण, न्यायाधिकरण ने खुद को इस बात की जांच करने से रोक दिया है कि क्या समूह के आवेदन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी

कंपनियों का सिद्धांत। खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन वास्तव में उस अभ्यास के लिए प्रासंगिक था जो न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा था। जे. डी. आई. एल. को फंसाने के लिए ओ. एन. जी. सी. की प्राथमिक दलीलें थीं किः

((i)

डी. ई. पी. एल. को डी. पी. जिंदल समूह द्वारा बनाया गया है।

तेल और गैस क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने का निश्चित उद्देश्य;

((ख)

दोनों के बीच एक करीबी कॉर्पोरेट और कार्यात्मक एकता है।

डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल.;

(iii) जे. डी. आई. एल. के अधिकारी निकटता से जुड़े रहे थे।

समझौते की बातचीत;

€ (iv) बोली के साथ-साथ डी. ई. पी. एल. के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे

जी. डी. शर्मा जो जे. डी. आई. एल. के कर्मचारी थे।

(v)

जी. डी. शर्मा डी. ई. पी. एल. की ओर से पत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे थे।
जे. डी. आई. एल. की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता; [2022] 4 एस. सी. आर.

(vi) मोहन रामनाथन, जो के महाप्रबंधक थे

जे. डी. आई. एल., उस गवाह से मिलने जाता था जो विषय अनुबंध के संबंध में ओ. एन. जी. सी. की ओर से गवाही देता था; और

(vii) जे. डी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक नरेश कुमार ने

जहाज के मालिकों के साथ बातचीत की

एक ही निविदा।

31. इसके अलावा, ओ. एन. जी. सी. के गवाह द्वारा साक्ष्य के दौरान यह कहा गया था कि जे. डी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक सहित लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने पोत को किराए पर लेने, इसकी तैनाती, प्रदर्शन और संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक लात में

ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच 21 नवंबर 2005 को हुई बैठक में डी. ई. पी. एल. की ओर से मोहन रामनाथन (महाप्रबंधक, जे. डी. आई. एल.) उपस्थित थे। इसी पृष्ठभूमि में ओ. एन. जी. सी. ने यह दावा करने की कोशिश की कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. के बीच निगमित, वित्तीय और कार्यात्मक एकता मौजूद है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विचार नहीं किया है क्या कंपनियों के समूह का सिद्धांत आकर्षित होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने यह निर्णय लेने से खुद को रोक दिया कि क्या खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। मध्यस्थ

32. इस पृष्ठभूमि में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण की खोज और निरीक्षण की अनुमति देने में विफलता प्रक्रिया की जड़ तक जाती है। क्योंकि इसने ओ. एन. जी. सी. को कंपनियों के समूह के सिद्धांत के अनुप्रयोग के आधार पर अपने मौलिक दावे को आगे बढ़ाने से अक्षम कर दिया।

33. अपनी दलीलों के दौरान, वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने आग्रह किया किः

(1) धारा 16 के तहत जे. डी. आई. एल. के आवेदन का निर्णय

साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण;

((ख)

ओ. एन. जी. सी. की ओर से गवाह ने गवाही दी और न्यायाधिकरण ने

अभिलेख पर साक्ष्य और दस्तावेजी सामग्री का मूल्यांकन करना;

(iii)

न्यायाधिकरण ने इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला है कि

जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल. वाली एकल आर्थिक इकाई के अस्तित्व का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं;

((iv) अन्वेषण और निरीक्षण के लिए ओ. एन. जी. सी. के आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते थे, जब तक कि न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने पर निर्णय नहीं देता, जो प्राकृतिक गैस निगम है।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

पहले निर्णय लेना पड़ा और इसलिए न्यायाधिकरण को उचित ठहराया गया यह निष्कर्ष निकालते हुए कि खोज और निरीक्षण के लिए ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर आवेदन पर बाद में विचार किया जाएगा;

(v)

इंडोविंड (ऊपर) में निर्णय मैदान में बना हुआ है।

कंपनियों के समूह का सिद्धांत केवल इस सिद्धांत का एक अपवाद है कि एक पक्ष जो कंपनी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

समझौता मध्यस्थता के अधीन नहीं किया जा सकता है;

(vi) धारा 34 के तहत न्यायालय का व्यापक दृष्टिकोण जो मध्यस्थता निर्णय में गैर-हस्तक्षेप का है, उसे भी नियंत्रित करना चाहिए।

धारा 37 के तहत एक अपील; और वही मानक बाद वाले पर लागू होना चाहिए जैसा कि पहले वाले पर लागू होता है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र पर फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार
जे. डी. आई. एल. द्वारा धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत दायर आवेदन। उप-धारा (5) के तहत, यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ऐसी याचिका को खारिज कर देता है, तो उसे मध्यस्थता पुरस्कार देने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखनी चाहिए। उप-धारा (6) के तहत, एक पक्षकार

मध्यस्थता पुरस्कार से व्यथित व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

धारा 34 के तहत पुरस्कार को अलग करने के लिए।

34. मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने माना है कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

जे. डी. आई. एल. के खिलाफ दावे को स्वीकार करने के लिए। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है, धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील के अधीन है। धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत, केवल निम्नलिखित आदेशों से (धारा 2 (1) (ई) के तहत परिभाषित) अदालत में अपील की जाती है, अर्थात्:

((i)

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने वाला आदेश

धारा 8;

के तहत कोई उपाय देने या देने से इनकार करने का आदेश

((ख)

धारा 9; और

(iii)

मध्यस्थता को दरकिनार करने या दरकिनार करने का आदेश

धारा 34 के तहत पुरस्कार।

धारा 37 की उप-धारा 2 में कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 16 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आधार पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अदालत में "अपील भी की जाएगी"। इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील की जाती है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

35. श्री श्याम दीवान ने इसके दो हालिया फैसलों पर भरोसा किया।

कि यह भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। 2016 के अधिनियम 3 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले, स्पष्टीकरण में यह निर्धारित किया गया था कि उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप 2016 के अधिनियम 3 द्वारा स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन में, संसद ने निर्धारित किया है कि एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ केवल तभी टकराव करता है जब तीन शर्तों में से एक को पूरा किया जाता है, अर्थात्:

पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी से प्रेरित या प्रभावित था।

((i)

81 ;

यह पुरस्कार मौलिक नीति का उल्लंघन है।

((ख)

भारतीय कानून का; या

(iii)

यह पुरस्कार नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष करता है।

या न्याय।

36. सांगयोंग इंजीनियरिंग (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 34 में "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा "

भारतीय कानून की मौलिक नीति "जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में समझाया गया है। डीडीए 3 1. धारा 34 की उप-धारा (2ए), जिसे 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, एक घरेलू पुरस्कार के मामले में चुनौती का एक अतिरिक्त आधार प्रदान करती है, अर्थात् पुरस्कार के सामने स्पष्ट पेटेंट अवैधता का अस्तित्व। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि:

" 34. इसलिए जो बात स्पष्ट है वह यह है कि "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति, चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में, अब "भारतीय कानून की मौलिक नीति" का अर्थ होगा जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स v. डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204] अर्थात

29 (2019) 15 एससीसी 131 ["सांगयोंग इंजीनियरिंग"] 30 (2019) 20 एससीसी 1

31 (2015) 3 एस. सी. सी. 49 और प्राकृतिक गैस निगम। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

भारतीय कानून की मौलिक नीति को निम्न स्तर तक सीमित कर दिया जाएगा - " रेनुसागर "इस अभिव्यक्ति की समझ। यह होगा

अनिवार्य रूप से इसका अर्थ है कि पश्चिमी गेको [ओ. एन. जी. सी. बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] विस्तार को समाप्त कर दिया गया है। संक्षेप में, पश्चिमी गेको

[ओ. एन. जी. सी बनाम वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12], जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैरा 28 और 29 में समझाया गया है। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], अब इस आधार पर किसी पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आड़ में प्राप्त नहीं करेगा कि

मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, न्यायालय का हस्तक्षेप पुरस्कार के गुण-दोष पर होगा, जिसे संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, जहाँ तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संबंध है, जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में निहित है, ये एक पुरस्कार को चुनौती देने के आधार बने हुए हैं, जैसा कि पैरा 30 में निहित है।

एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204]

41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स [एसोसिएट] के पैरा 31 और 32 में समझा गया है। बिल्डर्स वी। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204], जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं है, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगा। इस प्रकार, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है

इसके निर्णय पर विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ पीछे लिए गए दस्तावेजों के आधार पर एक निष्कर्ष भी किसी भी साक्ष्य के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होगा क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षों के नेतृत्व वाले साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे भी विकृत के रूप में चिह्नित करना होगा।

(जोर दिया गया)

37. इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया है किः

((i)

केवल मूल कानून का उल्लंघन एक आधार नहीं है

एक पुरस्कार अलग रखें; [2022] 4 एस. सी. आर.

((ख)

न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए;

(111) एक अनुबंध का निर्माण अनिवार्य रूप से एक मामला है

निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण;

((iv) किसी पुरस्कार को केवल तभी विकृत माना जा सकता है जब वह बिना किसी साक्ष्य के आधारित हो या महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज किया हो।

(v)

किसी पुरस्कार की अवैधता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए या

चरित्र ताकि पुरस्कार की जड़ तक जा सके; और

(vi) धारा 34 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा

केवल इसलिए समर्थनीय है क्योंकि तथ्यों या पुरस्कार के निर्माण पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण उपलब्ध है।

38. श्री के. एम. नटराज, ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि जब धारा 37 (2) (ए) के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ अपील की जाती है जो धारा 16 के तहत याचिका को स्वीकार करता है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अदालत के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए मानदंड उन सिद्धांतों से संकुचित नहीं होंगे जो धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने पर लागू होते हैं। एएसजी ने प्रस्तुत किया कि यह एक वैध कारण के लिए है, जो यह है कि एक याचिका की स्वीकृति पर कि अधिकार क्षेत्र की कमी है,

धारा 16 (अधिकारिता की कमी) की उप-धारा (2) या (3) के तहत याचिका स्वीकार करना और धारा 17 के तहत कोई उपाय देने या अस्वीकार करने के लिए। यह सच है कि संसद ने धारा 37 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत अपील पर विचार करते समय अदालत की शक्तियों को विशेष रूप से उन आधारों से संकुचित नहीं किया है, जिनके आधार पर किसी पुरस्कार को चुनौती दी जा सकती है। धारा 34 के तहत। अभिव्यक्ति "मध्यस्थ पुरस्कार" को धारा 2 (1) (सी) में एक अंतरिम पुरस्कार को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने के आधार उन मापदंडों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं जो

उस प्रावधान में वर्णित हैं। हालांकि, न्यायाधिकरण की अधिकारिता को चुनौती देने के संबंध में, धारा 16 में कहा गया है कि जहां न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका को खारिज करता है, उसे मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखनी चाहिए और तेल प्राकृतिक गैस निगम को चुनौती देने के लिए एक निर्णय और उपाय करना चाहिए।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

पुरस्कार धारा 34 के तहत होगा। हालांकि, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण एक याचिका को स्वीकार करता है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो न्यायाधिकरण का आदेश एक के लिए उत्तरदायी है

धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील में चुनौती। अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में, न्यायालय को उन आधारों का उचित सम्मान करना चाहिए जो

न्यायाधिकरण के साथ यह अभिनिर्धारित करने में वजन किया है कि कानून के अंतर्निहित उद्देश्य और भावना को ध्यान में रखते हुए इसकी अधिकारिता का अभाव है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता पर शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि उसके पास अधिकार क्षेत्र की कमी है, निर्णायक नहीं है क्योंकि यह धारा 37 (2) (ए) के तहत एक अपीलीय उपचार के अधीन है। हालाँकि, इस अपीलीय शक्ति के प्रयोग में, न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि कानून ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण को विवादों के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में मध्यस्थता की प्रभावशीलता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की शक्ति सौंपी है।

40. अब यह इस पृष्ठभूमि में है कि न्यायालय को संपर्क करना चाहिए

हाथ में काम। मामलों के वर्तमान समूह में, मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के दो समूहों के गठन से उत्पन्न होने वाली दो समानांतर कार्यवाहियां हैं। पहली कार्यवाही में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में न्यायमूर्ति श्री एस. पी. कुर्दुकर, न्यायमूर्ति श्री एम. एस. राणे और श्री एस. वेंकटेश्वरन शामिल थे। डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. दोनों को ओ. एन. जी. सी. द्वारा पक्षकार बनाया गया था, जो दावेदार है। जे. डी. आई. एल. द्वारा धारा 16 के तहत दायर आवेदन को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 27 अक्टूबर 2010 के अपने अंतरिम निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी। ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर अपील को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 27 जून 2012 को खारिज कर दिया था। मध्यस्थता कार्यवाही के अनुसरण में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 6 जून 2013 को डी. ई. पी. एल. के खिलाफ ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में अंतिम निर्णय दिया।

41. कार्यवाही के दूसरे सेट में चार समझौते शामिल थे।

ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. के बीच जो नीचे सारणीबद्ध हैं: -

एस. नहीं। तिथि

विशिष्टताएँ

समझौता

1. | 23 दिसंबर 2003

ड्रिलिंग इकाई के चार्टर किराए के लिए समझौता एन. सी. वाई. स्टीयरेबल डाउनहोल मिट्टी के 2 सेट किराए पर लेने के लिए समझौता

2. | 9 दिसंबर 2004

मोटर उपकरण, ड्रिलिंग जार और दिशात्मक ड्रिलिंग

सेवाएँ

ड्रिलिंग इकाई एन. सी. वाई. के चार्टर किराया के लिए समझौता

3. 2 दिसंबर 2006

ड्रिलिंग इकाई "नोबल एड-होल्ट" के चार्टर किराए के लिए समझौता

4. | 17 अगस्त 2006

जे. डी. आई. एल. ने 4 फरवरी 2010 को मध्यस्थता और एक मध्यस्थता का आह्वान किया।

न्यायाधिकरण का गठन किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा और न्यायमूर्ति एम. एस. राणे शामिल थे। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 9 अक्टूबर 2013 को अंतिम निर्णय दिया ([2022] 4 एस. सी. आर. में मध्यस्थता निर्णय।

दूसरी कार्यवाही) जे. डी. आई. एल. के पक्ष में और चालान की तारीख से भुगतान या प्राप्ति तक 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ 14,772 अमेरिकी डॉलर की राशि के उसके दावे को स्वीकार किया। ओ. एन. जी. सी. स्थापित

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 34 के तहत कार्यवाही। 28 अप्रैल 2015 के एक फैसले द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखा। धारा 37 के तहत एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील तब लंबित थी जब ओ. एन. जी. सी. ने इस न्यायालय में अपीलों को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। 1 सितंबर 2016 के एक आदेश द्वारा, अपीलों को इस आधार पर इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है कि मध्यस्थ के फैसले की पुष्टि करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका के बीच "कुछ संबंध है"।

न्यायाधिकरण ने कहा कि जे. डी. आई. एल. के खिलाफ दावे पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य होगा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जे. डी. आई. एल. के पक्ष में 9 अक्टूबर 2013 के मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देते हुए कहा था किः

" मुझमें

देखें कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने साक्ष्य के नेतृत्व पर विचार किया है

विवादित अधिनिर्णय में पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से और तथ्यों के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं कि (i) याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे थे कि उक्त डी. ई. पी. एल. और इसमें प्रतिवादी एक ही कंपनी थे; (ii) दोनों कंपनियों का स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व था; (iii) याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे थे कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त अनुबंध डी. ई. पी. एल. को दिया था क्योंकि यह वास्तव में इसमें प्रतिवादी थे और/या उत्तरदाताओं द्वारा समर्थित था; (iv) यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि

कि उक्त अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए, डी. ई. पी. एल. ने प्रतिनिधित्व किया था कि यह प्रतिवादी समूह का एक हिस्सा था; v) याचिकाकर्ताओं द्वारा जांचा गया गवाह द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं था

कार्यकारी खरीद समिति और के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं किया

बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची के लिए उक्त समिति द्वारा आयोजित बैठक; vi) इसमें उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई गारंटी या राहत पत्र जारी नहीं किया थाः

याचिकाकर्ताओं के साथ अपने अनुबंध के तहत डी. ई. पी. एल. की देनदारियां, यदि कोई हों और) याचिकाकर्ता कथित धोखाधड़ी का कोई विवरण प्रदान करने में विफल रहे थे या कि उक्त डी. ई. पी. एल. को लेनदारों को धोखा देने के लिए शामिल किया गया था। मेरे विचार में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए सभी उपरोक्त निष्कर्ष दलीलों, दस्तावेजों और पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित हैं और विकृत नहीं हैं।

और इस प्रकार तथ्यों के ऐसे निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत "। ऑयललैंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

42. एकल न्यायाधीश ने कहा कि ओ. एन. जी. सी. ने दावों का खंडन नहीं किया था

जो जे. डी. आई. एल. (मूल दावेदार) द्वारा किए गए थे। ओ. एन. जी. सी. का एकमात्र बचाव यह था कि ओ. एन. जी. सी. के दावे के खिलाफ चार अनुबंधों के तहत जे. डी. आई. एल. द्वारा दावा की गई राशि को समायोजित करने का वह हकदार था। दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थता निर्णय के दौरान, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने यह भी कहा है कि जे. डी. आई. एल. के दावों पर कोई विवाद नहीं था।

ओएनजीसी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय में कहा गया है किः

" दावेदार के उपरोक्त दावों को प्रतिवादी ओ. एन. जी. सी. द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। इन मध्यस्थता कार्यवाही में दावेदार द्वारा किए गए दावों के लिए ओ. एन. जी. सी. का बचाव अनिवार्य रूप से इस प्रभाव के लिए है कि प्रतिवादी डी. ई. पी. एल. के साथ अपने अनुबंध के तहत डी. ई. पी. एल. के खिलाफ प्रतिवादी के दावे के खिलाफ इन 4 अनुबंधों के तहत दावेदार को उसके द्वारा देय राशियों को उपयुक्त बनाने का हकदार है।

43. ओ. एन. जी. सी. ने जिस आधार पर उपरोक्त समायोजन का दावा किया था, वह यह था कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. एक आर्थिक इकाई का गठन करते हैं और डी. ई. पी. एल. जे. डी. आई. एल. की एक समूह कंपनी है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निवेदन को खारिज कर दिया ओ. एन. जी. सी. ने इस प्रकार कहाः

" प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजीव कुमार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दोनों कंपनियों को एक के रूप में मानने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि पूरे समय, यह दावेदार ही था जिसने डी. ई. पी. एल. की ओर से काम किया था। प्रत्यर्थी ने यू. पी. राज्य बनाम के मामले पर मजबूत निर्भरता रखी है। रेनुसागर पावर कंपनी और एक अन्य [1988 4 एस. सी. सी. 59]। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आधुनिक न्यायशास्त्र के विस्तार के क्षितिज में, निगमित पर्दा उठाने की अनुमति है यदि दो संबद्ध कंपनियों को इतना अटूट रूप से मिलाया जाता है कि एक इकाई का गठन किया जा सके। इसकी सीमाएँ असीमित हैं। हालाँकि, यह मुख्य रूप से स्थिति की वास्तविकताओं पर निर्भर होना चाहिए। इसने उस मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी रेनुसागर ने किसी भी समय कोई स्वतंत्रता नहीं दिखाई थी

इच्छा और पूरी तरह से हिंडाल्को द्वारा नियंत्रित किया गया था जो प्रतिवादी के दिन-प्रतिदिन के मामलों को भी नियंत्रित करता था। यहाँ तक कि प्रत्यर्थी के लाभ को भी हिंडाल्को के लाभ के रूप में माना गया था। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी और हिंडाल्को को एक चिंता के रूप में माना जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और कॉर्पोरेट घूंघट को उठाने की गारंटी न दें, यह मानते हुए कि एक है। वर्तमान मामले में साक्ष्य "कॉर्पोरेट पर्दा उठाने" के आवेदन को उचित नहीं ठहराता है। अनुबंध के संबंध में जो [2022] 4 एस. सी. आर.

प्रतिवादी द्वारा डी. ई. पी. एल. के साथ प्रवेश किया गया था, निविदा ओ. एन. जी. सी. द्वारा 2005 में जारी की गई थी और अनुबंध 2006 में किया गया था। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी ने डी. ई. पी. एल. को अनुबंध प्रदान किया क्योंकि यह वास्तव में दावेदार था और/या दावेदार द्वारा समर्थित था। उस अनुबंध के संबंध में बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची के लिए उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्रस्तुत एकमात्र गवाह कार्यकारी खरीद समितियों द्वारा आयोजित बैठकों में उपस्थित नहीं था जब अनुशंसित बोलीदाता को अनुबंध देने पर विचार-विमर्श हुआ [ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच पहले मध्यस्थता में उसी गवाह की प्रतिपरीक्षा में प्रश्न 39 के उत्तर में इस पर भरोसा किया गया था।

मध्यस्थता]। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उक्त अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए, डी. ई. पी. एल. ने प्रतिनिधित्व किया कि यह दावेदार समूह का एक हिस्सा था। प्रत्यर्थी का तर्क है कि दावेदार के एक कर्मचारी श्री मोहन रामनाथन ने डी. ई. पी. एल. के साथ अपने अनुबंध के संबंध में बोली पूर्व बैठक और सीमा शुल्क सुनवाई में भाग लिया। दावेदार ने अपनी गवाह सी. डब्ल्यू.-2 सुश्री दलवी के साक्ष्य में कहा है कि श्री रामनाथन ने पूर्व बैठक में भाग लिया था।

डी. ई. पी. एल. के अनुरोध पर और डी. ई. पी. एल. के प्रतिनिधि के रूप में इन क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के कारण बोली बैठक और सीमा शुल्क सुनवाई। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें श्री रामनाथन ने डी. ई. पी. एल. की ओर से सीमा शुल्क सुनवाई में भाग लेने के लिए कहा था। दावेदार ने यह भी बताया है कि दावेदार के एक कर्मचारी श्री जी. डी. शर्मा ने केवल डी. ई. पी. एल. की ओर से कुछ बैठकों और हस्ताक्षरित पत्रों आदि में भाग लिया और इन पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

डी. ई. पी. एल. "

44. न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि जे. डी. आई. एल. ने ओ. एन. जी. सी. की देनदारियों के संबंध में कोई गारंटी या राहत पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

डी. ई. पी. एल. जे. डी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक द्वारा पोत के मालिकों को संबोधित ईमेल आधिकारिक ईमेल पते से नहीं बल्कि व्यक्तिगत ईमेल पते से थे। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहा कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है कि ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए डी. ई. पी. एल. को शामिल किया गया था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने कहा कि जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल. ने पूरे समय एक अलग कानूनी चरित्र बनाए रखा।

45. डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. दोनों के खिलाफ ओ. एन. जी. सी. द्वारा शुरू की गई पिछली कार्यवाही में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने 27 अक्टूबर 2010 के अपने अंतरिम निर्णय द्वारा जे. डी. आई. एल. की अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका को बरकरार रखा था और कहा था कि प्राकृतिक गैस निगम।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

तराशा नहीं जा सकता था। मध्यस्थता पुरस्कार के अनुच्छेद 31 में

ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. के बीच दिनांक 9 अक्टूबर 2013 की संविदात्मक कार्यवाही,

आरबिट्रल ट्रिब्यूनल ने 27 अक्टूबर 2010 में अंतरिम फैसले को स्वीकार किया

पहले आगे बढ़े और उन निष्कर्षों से सहमत हुए। प्रासंगिक उद्धरण

इस प्रकार हैः

" 31. वर्तमान मामले में प्रतिवादी ओ. एन. जी. सी. ने पहले पहल की थी।

डी. ई. पी. एल. और दावेदार दोनों के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही

न्यायमूर्ति कुरुदुकर [पीठासीन] से मिलकर बना एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण

मध्यस्थ], न्यायमूर्ति राणे और श्री वेंकटेश्वरन, वरिष्ठ अधिवक्ता। इसके 'अंतरिम अंतिम पुरस्कार' दिनांक 27-10-2010 द्वारा

मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के बीच विवाद में

और डी. ई. पी. एल., दावेदार को शामिल नहीं किया जा सका। उन्होंने खारिज कर दिया कि

ओ. एन. जी. सी. का तर्क कि दावेदार उक्त के तहत उत्तरदायी था ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच अनुबंध। तर्क आगे बढ़े

हमसे पहले भी उससे आगे बढ़ चुके थे। वास्तव में सबूत

उत्तरदाता गवाह हैं कि अनिंद्य भट्टचार्य दोनों में समान हैं।

मध्यस्थताएँ। उस मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि

प्रत्यर्थी और निर्देश दिया कि दावेदार का नाम होना चाहिए

उक्त कार्यवाही से हटा दिया गया। आदेश को बरकरार रखा गया है

ओ. एन. जी. सी. द्वारा धारा 16 के तहत दायर याचिका में उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 अपने 27 तारीख के आदेश द्वारा

जून 2012। हमें सूचित किया जाता है कि एक एसएलपी लंबित है। अब वहाँ है

6 जून 2013 को उपरोक्त मध्यस्थ द्वारा दिया गया अंतिम पुरस्कार

प्रत्यर्थी के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायाधिकरण

और डी. ई. पी. एल. जहाँ उत्तरदाताओं को हकदार ठहराया गया है

डी. ई. पी. एल. से 6387.37 लाख रुपये की राशि के साथ-साथ यू. एस. डॉलर 1756197.50 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ, जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है।

और उसमें निर्धारित अन्य राहतें प्रदान की गई हैं। इसके बाद

दावेदार ने वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही की, ओ. एन. जी. सी. ने

उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया जिसके खिलाफ मुकदमा संख्या 2947/2011 है

दावेदार और डी. ई. पी. एल. पूर्ववर्ती मध्यस्थ के निष्कर्ष

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने 27 जून 2012 के अपने आदेश में

हमारे वर्तमान निष्कर्षों का समर्थन करें, और हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं

उसी के साथ "।

(जोर दिया गया)

46. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरे में मध्यस्थता पुरस्कार में

इसके अलावा, अधिकार क्षेत्र का कोई मुद्दा नहीं उठा क्योंकि केवल जे. डी. आई. एल. और ओ. एन. जी. सी.

पक्षकारों और जे. डी. आई. एल. का दावा चार अलग-अलग अनुबंधों [2022] 4 एस. सी. आर. के तहत उत्पन्न हुआ।

ओ. एन. जी. सी. के खिलाफ जे. डी. आई. एल. द्वारा दावे से जुड़े बाद के मध्यस्थता में एक हलफनामे के रूप में माना गया था। इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि 27 अक्टूबर 2010 की अंतरिम निर्णय तक की पहली मध्यस्थता कार्यवाही में गवाह की प्रतिपरीक्षा को भी बाद के मध्यस्थता में प्रतिपरीक्षा के रूप में माना गया था। जे. डी. आई. एल. ने अपने इस दावे के समर्थन में अपने प्रबंधक के साक्ष्य का भी नेतृत्व किया कि जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल. के बीच न तो कोई सामान्य निदेशक थे और न ही जे. डी. आई. एल. के डी. ई. पी. एल. में कोई शेयर थे। 47. उपरोक्त कथन इंगित करता है कि जिन मामलों को इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, वे जे. डी. आई. एल. द्वारा ओ. एन. जी. सी. के खिलाफ चार अनुबंधों के तहत मध्यस्थता में दावे से उत्पन्न होते हैं। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 9 अक्टूबर 2013 के अपने निर्णय (दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार) द्वारा दावे की अनुमति दी। ओ. एन. जी. सी. ने गुण-दोष के आधार पर दावे का कोई बचाव नहीं किया। हालांकि, ओ. एन. जी. सी. ने उन दावों के खिलाफ जे. डी. आई. एल. को देय राशि को समायोजित करने का अधिकार दिया, जिनके खिलाफ ओ. एन. जी. सी. ने दावा किया था।

डी. ई. पी. एल. एक अलग अनुबंध के तहत। ओ. एन. जी. सी. ने जोर देकर कहा कि जे. डी. आई. एल. और डी. ई. पी. एल. एक साझा आर्थिक इकाई हैं और कंपनियों के समूह का सिद्धांत लागू होगा। इस प्रकार अनिवार्य रूप से, जिन आधारों पर ओ. एन. जी. सी. ने पहली मध्यस्थता कार्यवाही में धारा 16 के तहत जे. डी. आई. एल. के आवेदन का विरोध किया, वे उस आधार के साथ मेल खाते हैं जिसके आधार पर ओ. एन. जी. सी. ने दूसरी मध्यस्थता कार्यवाही में जे. डी. आई. एल. के दावों के समायोजन की मांग की थी। इस प्रकार पहली मध्यस्थता से पहले उत्पन्न होने वाले मुद्दों के बीच एक महत्वपूर्ण डिग्री ओवरलैप है।

न्यायाधिकरण ने 27 अक्टूबर 2010 के अपने अंतरिम निर्णय में और जिन पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दूसरी कार्यवाही में 9 अक्टूबर 2013 को अपना मध्यस्थ निर्णय दिया था। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थता निर्णय 27 अक्टूबर 2010 को पहले मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम निर्णय में निहित निष्कर्षों पर निर्भर था। न्यायमूर्ति एस. पी. कुर्दुकर, न्यायमूर्ति एम. एस. राणे और न्यायमूर्ति एस. वेंकटेश्वरन वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 16 के तहत जे. डी. आई. एल. के आवेदन का विरोध करते हुए ओ. एन. जी. सी. ने कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू किया। अपने दावे के बयान के दौरान, ओ. एन. जी. सी. ने दलील दी कि डी. ई. पी. एल. को इस तथ्य पर भरोसा करके अनुबंध दिया गया था कि यह डी. पी. जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक समूह कंपनी है और जे. डी. आई. एल. का डी. ई. पी. एल. में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक हित है, जिसे जे. डी. आई. एल. का अहंकार कहा जा सकता है। 48. ओ. एन. जी. सी. ने दलील दी कि पिछले कई वर्षों से जे. डी. आई. एल. के साथ उसके निरंतर व्यावसायिक संबंध थे और यह एक प्रमुख कारक था जो प्राकृतिक गैस निगम को तेल देता है।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डी. ई. पी. एल. के पक्ष में अनुबंध देने का निर्णय लेते समय ओ. एन. जी. सी. के साथ विचार किया। दावा प्रस्तुत करने की तिथि पर, ओ. एन. जी. सी. के जे. डी. आई. एल. के साथ तीन स्थायी अनुबंध थे। ओ. एन. जी. सी. ने दावा किया कि डी. ई. पी. एल. की जिंदल समूह की कंपनियों के साथ घनिष्ठ निगमित एकता है और उसने उन्होंने लगातार प्रतिनिधित्व किया कि वे डी. पी. जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के भीतर एक समूह कंपनी हैं। ओ. एन. जी. सी. के अनुसार, डी. ई. पी. एल. के लेटरहेड के अलावा जो संकेत देते हैं कि यह डी. पी. जिंदल समूह से संबंधित है।

जे. डी. आई. एल. ने भी अपनी वेबसाइट पर इस स्थिति को स्वीकार किया है। ओ. एन. जी. सी. ने यह भी संकेत दिया कि चूंकि डी. ई. पी. एल. ओ. एन. जी. सी. को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

ओ. एन. जी. सी. ने पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए जे. डी. आई. एल. को देय धन को प्रतिभूति के रूप में समायोजित किया है। ओ. एन. जी. सी. ने अपने मुख्य प्रबंधक (एम. एम.) अनिंद्य भट्टाचार्य के साक्ष्य का नेतृत्व किया। ओ. एन. जी. सी. के गवाह ने कहा किः

7 अक्टूबर को आयोजित बोली-पूर्व सम्मेलन में

((i)

2005 , डी. ई. पी. एल. का प्रतिनिधित्व मोहन रामनाथन ने दो अन्य व्यक्तियों के साथ किया था और वह डी. ई. पी. एल. के एक कर्मचारी हैं।

जेड. आई. एल.;

दिनांक 17 की रुचि की दूसरी अभिव्यक्ति के जवाब में

((ख)

अक्टूबर 2005 में, डी. ई. पी. एल. ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर हस्ताक्षर किए गए।

डी. ई. पी. एल. की ओर से जी. डी. शर्मा द्वारा;

जी. डी. शर्मा प्रबंधक (वाणिज्यिक) का पद संभालते हैं।

(iii)

और विकास) जे. डी. आई. एल. के साथ;

(iv) सीलबंद बोलियों के लिए ओ. एन. जी. सी. के निमंत्रण के जवाब में

31 अक्टूबर 2005 को शॉर्टलिस्ट किए गए दलों ने डी. ई. पी. एल. ने 4 नवंबर 2005 के एक कवर लेटर के तहत अपनी बोली प्रस्तुत की। पत्र के अनुलग्नक में डी. ई. पी. एल. का एक

विवरण था जिसमें घोषणा की गई थी कि यह डी. पी. जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है जिसकी तेल और गैस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है और

तेल और गैस के लिए ऑफ शोर ड्रिलिंग में लगे हुए;

(v)

डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. दोनों ने एक समान पता साझा किया और

टेलीफोन नंबर;

(vi) डी. ई. पी. एल. को जिंदल समूह द्वारा तेल और गैस क्षेत्र को एक विशेष सेवा प्रदान करने के निश्चित उद्देश्य से बनाया गया था और डी. ई. पी. एल. ने वेबसाइट पर संकेत दिया है कि यह "उक्त समूह के भ्रातृ हुड" के तहत काम करता है;
(vii) डी. ई. पी. एल. को बेटे और बेटी द्वारा प्रचारित और प्रबंधित किया जाता है।

(viii) डी. ई. पी. एल. द्वारा प्रस्तुत बोली पर जी. डी. शर्मा द्वारा एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे जो जे. डी. आई. एल. के कर्मचारी हैं।

(ix)

जे. डी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक श्री नरेश कुमार ने जहाज के मालिकों के साथ उनकी ओर से काम पर रखने के लिए बातचीत की गई

डी. ई. पी. एल;

(x)

डी. ई. पी. एल. को 2003 में शामिल किया गया था।

(xi)

मोहन रामनाथन ओ. एन. जी. सी. के कार्यालय में उपस्थित थे।

विषय अनुबंध के साथ संबंध जनरल था

जे. डी. आई. एल. के प्रबंधक; और

(xii) जे. डी. आई. एल. के प्रबंधकों सहित लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारी

निदेशक ने पोत को किराए पर लेने, इसकी तैनाती, प्रदर्शन और संबंधित मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुद्दे। इसलिए, एक निगमित, वित्तीय और कार्यात्मक एकता

डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. के बीच मौजूद है।

49. 7 जुलाई 2009 को पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई में ओ. एन. जी. सी. के गवाह द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ लिए गए थे।

रिकॉर्ड में। जे. डी. आई. एल. के वकील ने प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के आधार पर इन दस्तावेजों पर आपत्ति जताई, लेकिन कहा कि वह उन दलीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना गवाह से जिरह करेंगे। प्रथम मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कहा कि धारा 16 के तहत आवेदन का निपटारा करते समय प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर निर्णय लिया जाएगा। ओ. एन. जी. सी. ने भी पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष खोज और निरीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया।

और आवेदन के अनुलग्नक में एक अनुसूची थी जो उन प्रकटीकरणों को दर्शाती थी जो मांगे गए थे। प्रथम मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश में ओ. एन. जी. सी. के इस कथन पर ध्यान दिया गया है कि खोज और निरीक्षण के लिए आवेदनों पर पहले निर्णय लिया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया पूरी होने पर ही धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए जे. डी. आई. एल. की चुनौती का समाधान किया जा सकता है। प्रथम मध्यस्थ

न्यायाधिकरण ने दोनों आवेदनों पर निर्णय को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर निर्णय नहीं हो जाता। शुद्ध परिणाम यह है कि खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन जो ओ. एन. जी. सी. के इस दावे के लिए महत्वपूर्ण थे कि डी. ई. पी. एल. और जे. डी. आई. एल. के बीच कार्यात्मक, वित्तीय और आर्थिक एकता मौजूद थी, धारा 16 के तहत आवेदन लेने से पहले तय किया जाना बाकी था। ओ. एन. जी. सी. की ओर से अनुरोध किया गया था कि खोज के लिए आवेदन में योग्यता है

और अधिकारिता की याचिका पर निर्णय लेने से पहले निरीक्षण पर निर्णय लेना था। खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन का उद्देश्य ओ. एन. जी. सी. को अपनी याचिका में सुविधा प्रदान करना था कि कार्यात्मक, तेल प्राकृतिक गैस निगम मौजूद है।

लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

दोनों कंपनियों के बीच वित्तीय और आर्थिक एकता। खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन की सुनवाई करने में पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण की विफलता 27 अक्टूबर 2010 के अपने अंतरिम निर्णय की जड़ तक जाती है। जे. डी. आई. एल. के अधिकार क्षेत्र का अभाव होना। 27 जुलाई, 2010 की पहली कार्यवाही में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले में ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि न तो डी. ई. पी. एल. और न ही जे. डी. आई. एल. ने इस मामले में कोई सबूत दिया था।

ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य। प्रथम मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र की याचिका को बरकरार रखा कि जे. डी. आई. एल. न तो अनुबंध का पक्षकार है और न ही उसने ओ. एन. जी. सी. को बोली प्रस्तुत की थी जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध का गठन हुआ। न्यायाधिकरण ने माना कि समझौता केवल ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच था और धारा 7 के संदर्भ में, मध्यस्थता के लिए समझौता समझौते के पक्षों के बीच होता है। यह देखते हुए कि मध्यस्थता समझौता केवल डी. ई. पी. एल. और

ओ. एन. जी. सी., न्यायाधिकरण ने कहा कि न तो ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. के बीच कोई मध्यस्थता समझौता था और न ही जे. डी. आई. एल. ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच ओ. एन. जी. सी. द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन पर ध्यान देने के बाद न्यायाधिकरण ने कहा कि "यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि जे. डी. आई. एल"., एक अलग निगमित कानूनी इकाई है।

जे. डी. आई. एल. और ओ. एन. जी. सी. के बीच अनुबंध में खुद को खोजने के लिए कोई भी भूमिका निभाई। जे. डी. आई. एल. के जिन अधिकारियों ने संविदात्मक सौदे में भाग लिया, उन्हें डी. ई. पी. एल. का प्रतिनिधि माना गया। दिनांकित अंतरिम पुरस्कार को पढ़ना 27 पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अक्टूबर 2010 में, अभिलेख से जो स्पष्ट धारणा निकलती है, वह यह है कि

अधिकारिता की अनुपस्थिति का निर्धारण यह है कि मध्यस्थता समझौता ओ. एन. जी. सी. और डी. ई. पी. एल. के बीच था। कंपनियों के समूह के सिद्धांत की कानूनी नींव का मूल्यांकन तथ्यों या कानून के आधार पर नहीं किया गया है। यह सच है कि चोलो कंट्रोल्स (ऊपर) मामले में इस अदालत का फैसला 2013 का है, चेरन प्रॉपर्टीज (ऊपर) 2018 का है और एम. टी. एन. एल. (ऊपर) 2020 में आया था। हालाँकि, ओ. एन. जी. सी. ने स्पष्ट रूप से जे. डी. आई. एल. की याचिका के विरोध में मामला स्थापित करने के लिए तथ्यात्मक और कानूनी आधार तैयार किया था। प्रथम मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय देने से पहले दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण पर ओ. एन. जी. सी. द्वारा आवेदन पर निर्णय नहीं लेने में कानून की एक मौलिक त्रुटि की है। ऐसा करते हुए, 27 अक्टूबर 2010 का पहला मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अंतरिम निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां महत्वपूर्ण साक्ष्य जो धारा 16 के तहत चुनौती के निर्धारण में न्यायाधिकरण की सहायता कर सकते थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। वास्तव में, यह रिकॉर्ड से सामने आया कि नंबर [2022] 4 एस. सी. आर.

जे. डी. आई. एल. द्वारा धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र के अभाव की अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। जे. डी. आई. एल. को अधिकार क्षेत्र के अभाव की याचिका लेने के बाद उन आधारों को स्थापित करने की आवश्यकता थी जिन पर वह अपनी याचिका स्थापित करने वाला था।

50. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, प्रथम मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अंतरिम निर्णय दूषित हो जाता है क्योंकिः

मध्यस्थता न्यायाधिकरण की निर्णय लेने में विफलता

((i)

ओ. एन. जी. सी. द्वारा खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन; कानूनी निर्धारण करने में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की विफलता

((ख)

कंपनियों के समूह के अनुप्रयोग के लिए आधार

सिद्धांत; और

(11) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय कि वह ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर आवेदनों पर केवल की याचिका के बाद निर्णय लेगा

अधिकारिता का निपटारा किया गया।

डी निष्कर्ष

51. उपरोक्त सभी कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रथम मध्यस्थ न्यायाधिकरण की मौलिक विफलता थी -

कंपनियों के समूह को आकर्षित करने के लिए ओ. एन. जी. सी. द्वारा उठाई गई याचिका को संबोधित करें

सिद्धांत। इसके अलावा, खोज और निरीक्षण के लिए ओ. एन. जी. सी. द्वारा दायर आवेदन को अनसुलझा छोड़कर, पहला मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसा करने में विफल रहा। ऐसे साक्ष्य की अनुमति दें जिनका इस मुद्दे पर प्रभाव पड़ा हो कि क्या जे. डी. आई. एल. को डी. ई. पी. एल. के साथ आर्थिक एकता माना जा सकता है और इसलिए मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जा सकता है।

52. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है किः

((i)

मध्यस्थ न्यायाधिकरण का 27 जुलाई का अंतरिम फैसला

2010 धारा 16 के तहत जे. डी. आई. एल. द्वारा उठाई गई याचिका पर

अलग रखें;

((ख)

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय

धारा के तहत ओ. एन. जी. सी. की अपील को खारिज करते हुए दिनांक 27 जून 2012

37 अलग रखना होगा;

(iii)

जे. डी. आई. एल. की याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है इसे नए सिरे से तय करना होगा। इस संबंध में, इस न्यायालय को सूचित किया गया कि तीन मध्यस्थों में से एक की मृत्यु हो गई है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है।

हम प्राकृतिक गैस निगम हैं। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइजेज टीडी। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

तदनुसार निर्देश दें कि ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. प्रत्येक नामित करेंगे।

इस निर्णय की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उनके मध्यस्थ जबकि दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नामित और नियुक्त करेंगे। इस प्रकार पुनर्गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षकारों को कोई और साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के बाद अधिकार क्षेत्र के अभाव के संबंध में जे. डी. आई. एल. की याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेगा या अभिलेख पर और दस्तावेजी सामग्री के उत्पादन की मांग करना। साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य जो पहले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं

हालांकि नए के रिकॉर्ड का हिस्सा होगा

गठित न्यायाधिकरण; जहाँ तक उन मामलों का संबंध है जिन्हें इस मामले में स्थानांतरित किया गया है।

अदालत, हम आदेश देंगे और निर्देश देंगे कि इन मामलों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में वापस भेजा जाए। उन अपीलों पर निर्णय जो दूसरी कार्यवाही में 9 अक्टूबर 2013 के मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिका की धारा 34 के तहत एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किए जाने से उत्पन्न हुए थे,

जे. डी. आई. एल. के पक्ष में, स्थगन में रखा जाएगा और रहेगा

मध्यस्थ न्यायाधिकरण तक अनिश्चित काल के लिए स्थगित जो है

अपने अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों के नियमों के संदर्भ में पुनर्गठित किया गया और इस स्थिति में कि वह अपने अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर देता है, जब तक कि इस संबंध में मध्यस्थता पुरस्कार नहीं दिया जाता है।

जे. डी. आई. एल. के खिलाफ ओ. एन. जी. सी. के दावे के लिए; और

इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ओ. एन. जी. सी.

9 अक्टूबर 2013 की दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार के तहत देय राशि जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसे जे. डी. आई. एल. द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि

बैंक गारंटी जो इस अवधि के दौरान जीवित रखी जाएगी

बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का लंबित होना

अदालत। जे. डी. आई. एल. द्वारा दी गई बैंक गारंटी को प्रोथोनोटरी और सीनियर की संतुष्टि के लिए जीवित रखा जाएगा।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के मास्टर।

या उपरोक्त कारणों से, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

2011 की मध्यस्थता याचिका संख्या 814 में 27 जून 2012 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है; [2022] 4 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

ओ. एन. जी. सी. द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले के खिलाफ दायर अपील

27 अक्टूबर 2010 को अनुमति दी गई है और 27 अक्टूबर 2010 के न्यायाधिकरण के अंतरिम फैसले को दरकिनार कर दिया जाएगा। ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. द्वारा एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, जो इस फैसले की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपने मध्यस्थों को नामित करेगा और उसके बाद दोनों मध्यस्थ संयुक्त रूप से तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।

वर्तमान निर्णय का डी. ई. पी. एल. के खिलाफ ओ. एन. जी. सी. के पक्ष में पारित 6 जून 2013 के मध्यस्थता निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हस्तांतरित मामलों को वापस भेज दिया जाएगा बम्बई उच्च न्यायालय। स्थानांतरित मामलों की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है ताकि उपरोक्त (iii) के संदर्भ में ओ. एन. जी. सी. और जे. डी. आई. एल. के बीच मध्यस्थता कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा की जा सके।

इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में, ओ. एन. जी. सी. 9 अक्टूबर 2013 की दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थ पुरस्कार के तहत जे. डी. आई. एल. को देय राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसे जे. डी. आई. एल. द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन वापस लेने की अनुमति दी गई थी। जे. डी. आई. एल. द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को 28 अप्रैल 2015 के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ मध्यस्थता अपीलों के निपटारे तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रोथोनोटरी और वरिष्ठ मास्टर की संतुष्टि के लिए जीवित रखा जाएगा।

9 अक्टूबर 2013 के मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाली धारा 34 के तहत याचिका को खारिज करना; और

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुनर्गठन पर, धारा 16 के तहत जे. डी. आई. एल. की याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। उस संबंध में सभी अधिकारों और तर्कों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने के लिए खुला रखा जाता है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जो पूर्ववर्ती मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में गठित किए जाने वाले नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा होंगे। ओ. एन. जी. सी. इसे आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगी।

खोज और निरीक्षण के लिए आवेदन और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए।

पार्टियाँ ऑयलेंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन में होंगी। लिमिटेड। वी. मेसर्स डिस्कवरी एंटरप्राइज 977 पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर। [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

के समक्ष आगे साक्ष्य

प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता

मध्यस्थ न्यायाधिकरण

यदि उन्हें इस तरह की सलाह दी जाती है।

54. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। स्थानांतरित मामलों को निपटारे के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है

उपरोक्त दिशाओं का प्रकाश।

55. लंबित आवेदन, यदि कोई

हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस (नेहा शर्मा, एलसीआरए

द्वारा सहायता प्राप्त)